संलग्नक क्र.–04 (1)

कार्यवाही विवरण

मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित आर्डनरी स्टोन (माईनर मिनरल्स), क्षमता–6,00,095 टन प्रतिवर्ष, खसरा नंबर 115 (पार्ट), 111 एवं 110, एरिया–2.72 हेक्टेयर की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 09.04.2025 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित आर्डनरी स्टोन (माईनर मिनरल्स), क्षमता–6,00,095 टन प्रतिवर्ष, खसरा नंबर 115 (पार्ट), 111 एवं 110, एरिया–2.72 हेक्टेयर की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 09.04.2025, दिन–बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–पंचायत भवन, ग्राम–लक्ष्मीपुर, पोस्ट–मिरीगुड़ा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अपर कलेक्टर, रायगढ़ की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया।

सर्वप्रथम **क्षेत्रीय अधिकारी,** क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायगढ़ के द्वारा –मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित आर्डनरी स्टोन (माईनर मिनरल्स), क्षमता–6,00,095 टन प्रतिवर्ष, खसरा नंबर 115 (पार्ट), 111 एवं 110, एरिया–2.72 हेक्टेयर की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का आयोजन आज किया जा रहा है। राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के द्वारा मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को पर्यावरण स्वीकृति हेतु टी ओ आर जारी किया गया है। टीओर के पूर्णता के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में 18.11.2024 को आवेदन प्रस्तुत किय गया था। जिसके परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 05.03.2025 के द्वारा लोकसुवाई की तिथि, स्थल एवं समय निर्धारित की गई है। लोकसुनवाई का आयोजन आज लोकसुनवाई का आयोजन आज दिनांक 09.04.2025 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–पंचायत भवन, ग्राम–लक्ष्मीपुर, पोस्ट–मिरीगुड़ा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में नियत है। जिसके संबंध में परियोजना के सुझाव, विचार, टिका टिप्पणी आमंत्रित करने बाबत्। ई.आई.ए. अधिूसूचना 2006 यथा संशोधन के प्रावधानों के अनुसार निम्न समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराया गया है। द हिन्दू में दिनांक 08.03.2025, नवभारत में दिनांक 08.03.2025 एवं किरण दूर में 08.03.2025 को इसका प्रकाशन कराया गया था। इसके साथ ही लोक सुनवाई की सूचना निम्न स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है, कार्यालय ग्राम पंचायत–लक्ष्मीपुर,

(2)

मिरीगुड़ा, शाहपुर, दुर्गापुर, दर्रीडीह, नकना, जमरगी 'डी', ओंगना, अमलीटीकरा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)। इसके साथ ही ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी में सार की प्रति सीडी के सहित कार्यालय कलेक्टर रायगढ़, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल पंचायत रायगढ़, कार्यालय मुख्य महाबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़, सरपंच/सचिव कार्यालय लक्ष्मीपुर, मिरीगुड़ा, शाहपुर, दुर्गापुर, दर्रीडीह, नकना, जमरगी 'डी', ओंगना, अमलीटीकरा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़, डायरेक्टेड वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) तथा सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में आमजनों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

पीठासीन अधिकारी महोदय – इस प्रोजेक्ट के परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित करता हूं की इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और रोकथम के उपाय और अन्य आवश्यक मुद्दों से आम जनता को अवगत करायें।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि श्री एस.के.सिंग के द्वारा कहा गया कि आज दिनांक 09.04.2025 को पंचायत भवन ग्राम लक्ष्मीपुर, पोस्ट–मिरीगुड़ा, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड अधिकृत व्यक्ति एस.के. सिंग, द्वारा ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आवेदित खनिज खदान पट्टा खदान सेक्टर पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् आयोजित लोकसनुवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर जिला–रायगढ़, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़, जिला–रायगढ़ आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी का स्वागत करते हैं और माननीय अपर कलेक्टर, जिला–रायगढ़ महोदय के अनुमति से हमारी ओर से हमारे द्वारा आयोजित खनिज पत्थर खदान के संबंध में जानकारी देने के लिए नेवेट प्रमाणित अल्ट्राटेक इन्वायरमेंट कन्सल्टेंसी एवं लेबोरेटरी थाने के पर्यावरण सलाहकार के सदस्य को आमंत्रित करता हूं।

पर्यावरणीय सलाहकार के सदस्य द्वारा परियोजना का प्रस्तुतीकरण – मानीय अपर कलेक्टर जिला रायगढ़, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायगढ़ समस्त आगन्तुक एवं उपस्थित एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की गौण खनिज साधारण पत्थर खदान की प्रस्तावित परियोजना की पर्यावणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आज दिनांक 09.04.2025 आयोजित लोकसुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पर्यावरण सलाहाकार मेसर्स अल्ट्राटेक थाना इस लोकसुनवाई का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सलाह को इआईए रिपोर्ट में समाहित करना है ताकि परियोजना संचालन के दौरान उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। लोकसनुवाई हेतु जनसुचना के संबंध में रायगढ़ कलेक्टर जिला रायगढ़ के द्वारा 28.02.2025 को पत्र जारी किया गया था। लोकसुनवाई की प्रकरण का विवरण 14 सितम्बर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और अधीन किए

गए संशोधन के अनुसार क्षेत्र बी 1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित जनसुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। लोकसुनवाई की जानकारी को 3 समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक किरण दूत, नवभारत एवं द हिन्दु, दिल्ली में दिनांक 08.03.2025 को प्रकाशित किया गया है। लोकसुनवाई संपन्न होने की नियत तिथी एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। ओदशानुसार ग्राम सेमीपाली व लक्ष्मीपुर व आस पास के क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक स्थानों पर जनसुनवाई का दिन समय और स्थान को मुनादी करते हुए जनसामान्य को सूचना दी गयी है। प्रस्तावित परियोजना का आधार– साधारण पत्थर खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गयी है एवं की जा रही है। निजी भूमि पर पत्थर लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, एवं छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसार समतस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए पत्थर उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा संबंधित विभागों जैसे ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, एवन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत् अनुमति/जांच प्रतिवेदन मंगाया गया है। विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन को जांच लेने के पश्चात् कर्यालय कलेक्टर, जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा 30 वर्ष की अवधि के उत्खनिपट्टा की अवधि के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, एवं नियम सम्मत कार्यवाही करते हुए खनिज उत्खनन के लिए शासन द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज अनुबंध किया जायेगा। आवेदित क्षेत्रों से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानको से अधिक है। खदान के रिजर्व्स का विवरण जियोलॉजिकल रिजर्व्स 2184840 टन, माईनेबल रिजर्व्स 966731 टन, रिकवरेबल रिजर्व्स 918395 टन, खदान में वर्षवार उत्पादन उत्पादन के आधार पर कुल 5 वर्षो में 878574 टन उत्पादन प्रस्तावित है। आवेदित खदान की आवश्यकताएं आवेदित खदान में कुल जल की आश्यकता 8 किलोलीटर प्रतिदिन होगी एवं कुल जनशक्ति की आवश्यकता 33 व्यक्ति की होगी। आवेदित खदान में कुल मशीन एवं उपकरणों की संख्या 33 होगी। जलवायु स्थिति अध्ययन काल मार्च 2024– मई 2024, अधिकतम औसत तापमान 47.33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13.18 डिग्री। पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के लिए किए गए विश्लेषण के परिणम निर्धारित मानकों के भीतर पाई गई है। लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किये जायेगें, ट्रकों को तारपोलिन द्वारा ढका जायेगा, ओवर लोडिंग को रोका जायेगा, सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पीयूसी होना सुनिश्चित किया जायेगा, खदान की सीमा में पौधे लगाये जायेगें, वाहनों की आवाज ही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन पर प्रभाव के आकलन के लिए प्रति छः माही में निगरानी की जायेगी और प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जायेंगें, जहां एक्सपोजर अनुमेय सीमा से अधिक है, नियंत्रण, प्रबंधन उपाय या अंतिक उपाय के रूप में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रावधान को लागू किया जायेगा, लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जायेगा, डीजल इंजनों का नियमित रख रखाव किया जायेगा, कच्ची सड़क एवं खनन क्षेत्रों के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास होगा। सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हेगी। सतही पानी को डायवर्ट करने के लिए गारलैंड ड्रेन का निर्माण जायेगा। खनिज में कोई विषैला तत्व नहीं होता है इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। ध्वनि की स्तर को कम करने के लिए वाहनों

(5)

एवं मशीनों का सही रख रखाव किया जायेगा ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेंगी, सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे तथा हरित पट्टिका का विकास किये जायेंगे। खदान की सीमा क्षेत्र में 1146 स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाये जायेंगे और सुरक्षा की जायेगी। परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नहीं है। परिणामतः परियोजना गतिविधी से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नहीं होगी। परियोजना के शुरू होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आस पास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा जायेगा जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आस पास विकसित किया जायेगा, जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा जिससे निवासरत् लोगों का जीवन स्तर सामान्य से बेहतर होगा। एक योग्य खान प्रबंधन के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किये जायेंगे जो डीजीएमएस समय–समय पर आदेश मॉडल स्थाीय आदेश और परिपत्र जारी करता रहा है, जिनका पालन आपदा के मामले में खान प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। सभी खनन कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा सावधनियों और धातुयुक्त खनन विनिमय, 1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जोयेंगे। माइन्स नियम, 1956 के अुनसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जायेगी, सफाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जायेंगे, श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। खदान को उचित अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित किये जायेंगे। निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, भौतिक बुनियादी ढांचें में सुधार, सामाजिक अवसंरचना में सुधार, रोजगार क्षमता में वृद्धि, खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि, अवैध्या खनन की रोकथाम, राजकोष में योगदान। खदान प्रत्यक या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित करेंगे। अतिरिक्त परिवहन जैसे कुछ कार्यों को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जायेगा इसलिए खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहेने की उम्मीद है। परियोजना की लागत खदान की कुल पूंजी लागत की राशि 27. 89 लाख रूपये है, खदान के लिए सीईआर के लिए कुल 59 लाख रूपये होगी। व्यक्तिगत पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के चारों ओर वृक्षारोपण एवं अप्रोज रोड, रैन में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रख रखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाऐं एवं पर्यावरण की निगरानी इत्यादि के लिए बजट कुल पूंजी की लागत 4,44,600 है, कुल आवर्ती लागत रूपये 5,05,910। पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत रोड में वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी पृथक बजट बनाये जायेंगे। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों उपलब्ध संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। परियोजना के संबंध में समस्त जानकारी

पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई जायेगी। इसके पश्चात् मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु आपसे निवेदन करती हूं। धन्यवाद!

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा– परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजन, परिवारजन, पंचायत के प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधि, एन.जी.ओ. के लोग, समुदायिक संस्थान, पत्रकारगण और जन सामान्य आदि से अनुरोध है कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार और आपत्तियां यदि कोई हो तो लिखित या मौखिक में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा जो भी बातें बताई जायेंगी, आपके द्वारा जो भी तथ्य यहां रखे जायेंगे जो भी बातें बताई जायेंगी उसका लिखित रिकॉड रहेगा अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी। और जो भी आपके सुझाव रहेंगी, आपत्तियां रहेंगी, जो भी मुद्दे रहेंगे उसके जवाब के स्वरूप में जो परियोजना प्रस्तावक हैं और पर्यावरण सलाहकार हैं ओ बिन्दुवार उसका स्पष्टीकरण भी देंगें जवाब भी देंगें। इसमें आप लोग आश्वस्थ रहें की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बर्ती जायेगी। अतः आपसे निवेदन है कि आपके जो भी सुझाव हैं, विचार हैं आपत्तियां उसको आप संक्षिप्त में सारगर्भित रूप से तथ्यात्मक रूप से रखें ताकि सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिल सके और विशेष निवेदन रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगें शांति व्यवस्था को बनाये रखेंगें।

इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती / सुश्री / श्री –

1. भुवन, बांसजोर – कुछ दिक्कत नहीं है।
2. मंझीराम, बांसजोर – सब बढ़िया है लेकिन खदान से दिक्कत है।
3. धरमसाय, सेमीपाली – मेरा खेत बाड़ी है खेत को निकालना चाहता हूँ। विरोध है।
4. देलार – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
5. रामधन, सेमीपाली – पानी का समस्या है पहाड़ उपर और रोड चाहिये।
6. सुखदेव, सेमीपाली – कोई समस्या नहीं है हम लोगो को।
7. तिजराम – मेरा पति नहीं है।
8. भामावती, बांसजोर – हमको कोई परेशानी नही है।
9. सुनीबाई – आवास घर नहीं मिला है।
10. सुकांति बाई, – पानी नहीं है हमको परेशानी हो रहा है। विरोध है।
11. जानकी, सेमीपाली – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
12. रामकुमारी – पानी के लिये परेशानी है और रोड के लिये भी बहुत परेशानी है। मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

(6)

13. हंशामति – घर तैयार नहीं हो रहा है।
14. चंपा – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
15. समारी, बांसजोर –
16. आशो, बांसजोर – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
17. हरिराम, बांसजोर – हमारे यहां हाफ बिजली होता है, पानी नही है। मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
18. मानसाय, बांसजोर – पानी का समस्या है बिजली की समस्या है।
19. सौरभ, बांसजोर – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
20. धनाराम, बांसजोर – पानी की बहुत समस्या है, बिजली की समस्या है।
21. मुकेश मौय, – ये जो खदान खुल रहा है जो पत्थर निकलेगा वो भारत माला में उपयोग होगा। मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
22. सुरेश तिर्की – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है। बोरींग में पानी नहीं निकलता है इसके लिये क्या करें।
23. पंकज कुमार मिश्रा – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
24. अभिलाष – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
25. अमृत सिंह – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
26. अरविंद कुमार – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
27. चंदन कुमार, सेमीपाली – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
28. दिनेश – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
29. विनोद कुमार – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
30. पंकज मिश्रा – मेसर्स़ दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
31. बिरबल सिंह – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
32. निरज विश्वाश – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
33. रोशन केरकेट्टा – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
34. भुवनेश्वर – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
35. रखीराम – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
36. पुष्तम यादव – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
37. राधेश्याम, दुर्गापुर – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
38. नितेश कुमार – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।
39. शुभम – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

(7)

40. रामेश्वर – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

41. राजेश दुबे – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

42. ओमप्रकाश – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

43. कुंवर राम मांझी – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

44. शिवमोहन तिवारी, धरमजयगढ़ – मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र को लाभ होगा। नियमों के अनुसार कंपनी कांम करेगी। मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

45. मोहम्मत असलम, पत्रकार – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है और उम्मीद है कि कंपनी आने से लाभ होगा।

46. रोहित, पत्रकार – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है क्यों कि कंपनी के आने से भारतमाला परियोजना में सड़क बन रहीं है हमको लाभ मिल सकता है इसलिये मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

47. दिलेश्वर राठिया, लक्ष्मीपुर – हमारे पंचायत के अंतर्गत जो भारतमाला परियोजना के तहत जो खदाने खुल रहीं है इसके लिये हमें कोई आपत्ति नहीं है।

48. सेमीपाली माईन्स का भारतमाला के लिये कोई आपत्ति नहीं है।

49. चंक्रधर – भारतमाला परियोजना के लिये जो खुल रहा है मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

50. बंधोराम राठिया – सेमीपाली में भारतमाला का खनन हो रहा है उसका समर्थन है।

51. महेन्द्र सिदार – भारतमाला का समर्थन है।

52. प्रेमसिंह राठिया, उपसरपंच – जो गिट्टी खदान के लिये जनसुनवाई हो रहा है उसके लिये जो जमीन है और जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। हाथी प्रभावित क्षेत्र है यह, हाथी जंगल को छोड़कर घर में आ रहा है। जंगल को खदान के माध्यम से पाटा जा रहा है। गरीब क्षेत्र को नुकशान है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

53. विपुल मिंज, लक्ष्मीपुर –

54. शांतिबाई – मिट्टी खदान में एग्रीमेंट हो चुका है इसमें इसका जमीन गया है लेकिन इसका पैसा नहीं दिया गया है कंपनी का विरोध है।

55. अनिता तिर्की – गिट्टी खदान का कोई दिक्कत नहीं है मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

56. धनेश राम – खदान है उसके लिए हम लोग सहमति है। यहां से जो पत्थर निकल रहा है रोड मे लगेगा।

57. वेदराम राठिया – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

58. सोहन राठिया – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

59. रमेश – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

60. पुष्पा – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

(8)

61. लक्ष्मी, बांसझोर – हमारा कमाई होना चाहीये। हमें खदान चाहीये।

62. मुरलीधर राठिया, भवरखोल – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

63. संकेत सिंह, भवरखोल – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

64. भुनेश्वर सिंह राठिया, भवरखोल – भारतमाला रोड जा रहा है उसके लिये सहमत हूँ।

65. शिलु, सेमीपाली – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

66. अनिता मिंज – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

67. जुलेता कुजुर – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

68. लॉरेंस तिर्की – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

69. जयमनी तिर्की – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

70. विनिता एक्का – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

71. क्लोसटिका – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

72. भवानी सोनी, धरमजयगढ़ – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का पुरजोर विरोध करता हूँ। ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है।

73. अखिलेश कुमार – मैं खदान के लिये विरोध करता हूँ। खदान से डस्ट निकलेगा इसके लिये पुरजोर विरोध करता हूँ।

74. रोहित यादव, लक्ष्मीपुर – हम लोगो को पता चला की यहा जनसुनवाई हो रहा है। यह हाथी क्षेत्र है। यहा प्रदूषण होगा इसलिये मैं विरोध करता हूँ।

75. रसाईल टोप्पो – हाथी प्रभावित क्षेत्र है। खदान खुलने से डस्ट होगा इसलिये पुरजोर विरोध करता हूँ।

76. जय यादव – वन संपत्ति का नुकशन होगा इसलिये विरोध करता हूँ।

77. लक्ष्मी प्रसाद – खदान खुलने से धुल उड़ेगा विरोध है।

78. कैटरिना कुजुर, लक्ष्मीपुर – विरोध है।

79. इग्निस तिर्की – विरोध है।

80. रविना मिंज, लक्ष्मीपुर – खदान खुलने से हम सहमत नहीं है। खदान वाले हम लोगो को भगा देंगे तो हम कहां जायेंगे।

81. अनिता मिंज – विरोध है।

82. मिसिला कुजुर – विरोध है।

83. तुजेश एक्का – विरोध है। हम कहां जायेंगे।

84. विरोध।

85. मंजू एक्का – विरोध है।

86. अनिता मिंज – विरोध है।

87. अराधना – विरोध।

88. अजय तिर्की – गिट्टी खदान खुलना नहीं चाहिये। जब खदान खुला तभी जनसुनवाई होना चहिये। विरोध।

89. सुरेश – विरोध।

90. अजित तिर्की – विरोध करता हूँ क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। हाथी प्रभावित क्षेत्र है।

91. अकुल – विरोध है।

92. विंजुश – विरोध है।

93. पुरन कुमार– मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

94. अनुसुईया राठिया– मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

95. गायत्री राठिया – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

96. रवि कुमार राठिया, भंवरखोल – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

97. संजय राठिया, भंवरखोल– मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

98. सरस्वती – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

99. महेश्वरी राठिया, भंवरखोल – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का समर्थन है।

100. जयंत बहिदार – बात रखने से पहले आदणीय पीठासीन अधिकारी महोदय, आदरणीय पर्यावरण अधिकारी महोदय, आदरणीय हमारे एडिशनल एएसपी साहब और तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण सभी से मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों ने अवसर दिये, आप लोगों ने इंतजार किये, मैं क्षमा मांगते हुए अपनी बात रखता हूं। मैं जयंत बहिदार सामाजिक कार्यकर्ता हूं रायगढ़ जिले का। हमारे आदणीय पीठासीन अधिकारी महोदय से हमारा ये कहना है कि ये जो आप जनसुनवाई करवा रहें हैं जो गिट्टी खदान का है, इन्होंने जो ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत किया है ये झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत किय गया है और जानबूझ करके जो तथ्य हैं छिपाया है इन्होनें। ये संविधान के पॉँचवी अनुसूची के तहत पेसा कानून प्रभावशील है यहां, अनुसूचित क्षेत्र है और ये जो परियोजना स्थल है सेमीपाली और जो पंचायत है लक्ष्मीपुर तहसील धरमजयगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहां कोई भी इस तरह का जैसे गौण खनिज बताया है इसके लिये ग्राम सभा जो है वो उनकी व्यवस्था करेंगे, बताया है कि माईनर खनिज है, माईनर सिंचाई के साधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वन है तो इन्होंने इस प्रस्तावित परियोजना के ग्राम सभा की सहमति, अनापत्ति नहीं है। इन्होंने 2022 का पंचायत की अनापत्ति प्रस्तुत किया है, तो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत को वो पॉवर अधिकार नहीं है जो ग्राम सभा को है। तो इस परियोजना को हम यहीं कहेंगे कि आप स्थगित कर दें यहीं रोक दें। इन्होंने जो आवेदित जमीन बताया है वह भी आदिवासियों का है। आदिवासी जमीन को खरीदा नहीं जा सकता बिना शासन के सहमति के अनुमति के भले ही आदिवासी की सहमति हो, गरीब होता है आदमी, मजबूरी होता है, परेशानी होती है तो व्यक्ति चाहता है कि मेरी जमीन बिक जाये। इन्होने लीज में लिये है, किराये में कहिये। तो उसको किराये में भी देने का अधिकार नहीं है। उस आदिवासी किसान हो

(10)

गरीब व्यक्ति हो ग्रामीण को उसके लिये कलेक्टर साहब की अनुमति चाहिए। परन्तु शासन ने, कलेक्टर साहब ने अनुमति नहीं दी है। आप किसी भी गरीब आदिवासी को पैसे के प्रलोभन से उसकी जमीन को किराये में नहीं रख सकते, गैर आदिवासी उनके उपक्रम को संचालित करने के लिये ये जो मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड है ये आदिवासी संस्था नहीं है। इसलिये हमारा कहना है कि ये भी अवैध है और पेसा कानून का पालन नहीं हुआ है। अधिकारी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कानून का पालन कराये और ये खामियों है जिसके कारण ये जनसूनवाई को रोका जा सकता है। ये परियोजना प्रस्तावक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने ही बताया है कि ये नया परियोजना है, नही आप जाईये देखिये पहले से ही उत्खनन हो रहा है ये मेरा आरोप नहीं तथ्य है कि पहले से ही उत्खनन हो रहा है यहाँ। और ये कहते है कि हमारा 30 मीटर जो परियोजना प्रस्तावित किये है मंजूरी होगा तो खुदाई करेंगे, पत्थर उत्खनन करेगें, 30 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं करेंगे। आज इनकी जो खदान है 30 मीटर से ज्यादा है चलिये जांच करिये, हजारों पेड़ों की कटाई कर दिया है आदरणीय महोदय हजारों पेड़ों की कटाई किया है और अपने परियोजना ड्राफ्ट ईआईए में बताए है कि एक भी पेड़ की कटाई नहीं होगी। इन्होनें कहा है कि हम ये जो पत्थर खुदाई करेगें वह भारतमाला परियोजना में सरकारी सड़क निर्माण में उपयोग होगा। और उन्होंने बताया है कि ये जो खदान का क्षमता है जो रिजर्व है हमारी भारत सरकार का संस्था बनाता है, उन्होंने बताया है कि 9,66,731 टन है इसकी क्षमता केवल और ये प्रतिवर्ष उत्खनन करने का क्षमता बता रहें है वह 6 लाख टन से उपर। तो इसकी जितनी क्षमता है डेढ़ साल में ये उत्खनन कर लेगें तो 30 साल का पट्टा क्यों लिया इन्होंने? और 30 साल का किसानों से भी लिखवाया है और 30 साल का पट्टा शासन से भी प्राप्त किया है, खनिज विभाग से क्यों? सर आप ध्यान देगें जिस खदान का जो क्षमता है वह कुल 9 लाख टन से थोड़ा ज्यादा है और प्रतिवर्ष जो उत्खनन करने की क्षमता बता रहे हैं वो 6 लाख टन करेंगे तो डेढ़ साल में खदान खत्म हो जायेगा। ऐसा नहीं है इसकी क्षमता कहीं ज्यादा होगी और इन्होंने ऐसा लिखा है तो ये गलत होगी आप इसकी अध्ययन कराईये, बंद करवाईये लोक सुनवाई को। हम विलंब हो गये नहीं तो शुरू में ही पूछते। और इन्होंने कहा है कि यह केवल सरकारी सड़क निर्माण में दर्ज होगा। इन्होंने अपनी ईआईए में ये नहीं बताया है कि ये भारतमाला परियोजना में सड़क निर्माण में कितना ठेका मिला है और सड़क निर्माण में कितने टन गिट्टी का इस्तेमाल होगा ये नहीं बताया है। फिर खदान इनको क्यों चाहिए? एक जगह ईआईए में ये भी लिखते हैं कि ये जो गिट्टी का उत्खनन होगा वह मार्केट में बिक्री के लिये स्वतंत्र है इसलिये ये गिट्टी यहां डम्प नहीं होगा, क्योंकि शर्त में ये भी है कि आप यहां पर डम्प नहीं कर सकते यानि गिट्टी का भण्डारण नहीं कर सकते तो इन्होंने ये बताया है ये तो बिक्री के लिये स्वतंत्र है। तो डम्प होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये लिख रहें हैं। जबकि खनिज विभाग जो पट्टाधारी हैं, लीज दिये हैं, खनिज पट्टा, उसमे ये सरकारी सड़क निर्माण के लिये ही उपयोग होगा, निजी आप उसको बेच नहीं सकते या निजी मकान निर्माण या कॉम्प्लेक्स निर्माण में आप खर्च नहीं सकते, तो ये विरोधाभासी

रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया है। आदरणीय पीठासीन महोदय, अधिकारी महोदय! इन्होंने बताया है कि 2.720 हेक्टेयर का लीज मिला है इनको, इतने में ये खुदाई करेंगे आप जांच करवा लीजिये 2.720 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा में खुदाई हो चुका, ये नया परियोजना के नाम पर अनुमति लेना चाहते हैं और इनके नाम पर पत्थर उत्खनन का कार्य 2 साल से जारी है। और इन्होने बताया है पास में ही मेसर्स सुनील अग्रवाल फर्म का भी पत्थर खदान है, इन्होंने जितनी दूरी बताया है उससे कम दूरी पर है। जंगल की जमीन 100 मीटर से भी कम है मगर इन्होंने ज्यादा बताया है। यहां एक नाला बहती है वह भी 100 मीटर में है। माण्ड नदी नजदीक पर है उसको भी इन्होंने दूर बताया है और इनके खदान का ब्लास्टिंग के लिए खतरनाक केमिकल उपयोग किये जो गंदा पानी है मानव किसी भी प्रकार के प्राणी, जानवर, पक्षी किसी के लिये भी फायदेमंद नहीं हैं सब नुकसान दायक है। वो पानी पेयजल के लिये नहीं होता जो खदान से निकलता है, सब पानी नाले और माण्ड नहीं में जा रहा है। तो आप कैसे अनुमति दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात सर! आप ध्यान देगें इसी मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन ने सन् 2023–24 में पिछले साल राजनीतिक दलों को 29 करोड़ रूपये का चंदा दिया है, क्यों दिया है? निश्चित है कि ये पत्थर मार्केट में बेचने के लिये चोरी करेगें उस खदान से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से भी बचे हुए पत्थर रहेगा उसका विक्रय करेंगे। भ्रष्टाचार करेगें भारतमाला परियोजना में, क्या इनको सड़क निर्माण का ठेका मिला है कि केवल गिट्टी सप्लाई का ठेका मिला है? आपलोगों को जांच करना चाहिए हमारे पर्यावरण विभाग को, कलेक्टर साहब को। हम एएसपी साहब से मौखिक चर्चा किये है कल एफआईआर दर्ज करायेगें कम्पनी के खिलाफ। झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करके पर्यावरणीय स्वीकृति लेना चाहते हैं और ये अपराध है गलत जानकारी दिया है, पत्थर खदान के लिये इन्होंने नयी खदान बताई है जबकि 2 साल से ये पत्थर खदान संचालित हो रहा है, ये सबको लेकर हम एफआईआर दर्ज करायेगें और गिरफ्तार करने की मांग करगें, जो होगा देखते हैं। मैंने आपको बताया कि भारतमाला परियोजना में जो विशाखापट्नम से रायपुर तक का जो सड़क है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे छ.ग. के विधानसभा में हाल ही में उठाया गया मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया है और जो प्राथमिक जांच में कुछ सही पाये गये है भ्रष्टाचार के निशानी, जिसकें कारण उन्होंने छ.ग. के ईओडब्ल्यू की एजेंसी को जांच के लिए दिया है, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगें उसमें, हो सकता है दिलीप बिल्डकॉन का भी हाथ हो उस भ्रष्टाचार में। कहां–कहां तक गिट्टी सप्लाई करेंगे, कहां पर सड़क निर्माण होगा, कितनी टन गिट्टी का उपयोग होगा ये नहीं बताया है, ये सब पूंछेगें अभी। जैसे आप आखरी में अवसर देते हैं वैसे सर! आपको बता दें कि जो हमारा ईआईए अधिसूचना भारत सरकार ने अपने पर्यावरण संरक्षण का ईआईए के तहत अधिसूचना जारी की है 14 सितम्बर 2006 को जारी उसके बाद जो संशोधन आया है उसमें ये है कि जो परियोजना प्रस्तावक है या उसका कंसल्टेंट है उससे प्रत्येक व्यक्ति को यहां उपस्थित, स्पष्टीकरण, जानकारी और सूचना मांगने का अधिकार है। पहले से है जैसे मैं आ गया तो मेरे को जानकारी देगें, मेरे बाद राजेश त्रिपाठी जी हैं,

(12)

राधेश्याम शर्मा जी हैं, सबको देना पड़ेगा, मगर आपलोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दिया है कि आगे आखरी में पूछ सकते हैं तो मेरा ये अनुरोध है आपसे आखिर में पर्याप्त अवसर देंगे क्योंकि मैं सब पूरा पोथा के बारे में पुछूंगा। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं सर! इन्होंने ग्रीन बेल्ट के बारे में, जबकि कोई भी परियोजना है अगर उद्योग से संबंधित है तो परियोजना के लिये एक–तिहाई जमीन पर ग्रीन बेल्ट का निर्माण होना चाहिए, वृक्षारोपण। इन्होंने 2.720 हेक्टेयर क्षेत्र बताया है उस हिसाब से पौन एकड़ के आस–पास इनको वृक्षारोपण करना चाहिए या प्रस्तावित होना चाहिए। जब खदान पहले से है तो प्रस्तावित होना चाहिए और अगर नयी परियोजना है तो ये बोलते है कि हम 1200–1400 पेड़ लगायेगें ऐसा नहीं हो सकता उसके लिए 2000 से भी अधिक पेड़ लगाना पड़ेगा, और उसका जो फंड है उसको बताना पड़ेगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिये उसको भी सतही इन्होंने केवल भर का किया है और रिपोर्ट बनाया है। इन्होने बताया है कि इनका जो परियोजना स्थल है वहां भू–जल स्तर की जो गहराई है वो 40 मीटर से नीचे बताया है। साहब! आप आंकलन करिये जहां पास में जंगल हो, जहां माण्ड नदी बहता हो वहां भी बांध बनाया गया है। अब वो अलग बात है महादेवा पॉवर प्लांट के लिये, नाला है, ये क्षेत्र सूखा घोषित नहीं हुआ है कभी भी । यहां 40 मीटर के नीचे कैसे पानी आयेगा, उनके खदान में पानी निकल रहा है वो भी झूठी रिपोर्ट है। अगर ये खदान को मंजूरी मिल गया, अगर इनका उत्खनन कार्य बंद नहीं हुआ तो ये आस–पास का क्षेत्र का जो भूमिगत जल है वो और नीचे गहराई में चला जायेगा। इन्होंने बताया है सर! ये जो इनका परियोजना है इसमें 8000 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है जो ये आस–पास के गांव से टैंकर में लायेगें। कौन से गांव में इतना पर्याप्त पानी है जो 8000 लीटर प्रतिदिन इनको बेचेगा या देगा जो ये अपने पत्थर खदान में धुल उड़ने से रोकेंगे? सड़कों पर पानी छिड़केगे, वृक्षारोपण करेंगे, लोगों को पानी पिलायेंगे, मशीन चलाने के लिये उपयोग करेंगे, कहां से आयेगा? बताईये कौन आस–पास के लोग देगें इनको 8000 लीटर प्रतिदिन पानी। गांव के लागों को तो पीने के लिये शुद्ध पानी नहीं मिलता है, निश्चित है कि ये किसी नदीं नाले, तालाब से पानी उठायेंगे। जो ये परियोजना रिपोर्ट में और सरकार ने नहीं दिया है, प्रतिबंध है कि किसी तालाब, नदी या नाले से पानी नहीं ले सकते, निश्चित है ये लेंगे चोरी करेगें, डकैती डालेंगे। जैसे आपको बता रहें हैं सर जी ये जंगल नजदीक है मगर इनका खदान से उत्खनन होगा धूल उड़ेगा, हमने देख लिया। पहले रायगढ़ जिले में थे अब सारंगढ़ के टिमरलगा, कटंगपाली वो सब इलाका हमने देख लिया, पत्थर खदान से कितना धूल उड़ता है, कितना प्रदूषण होता है इसको रोका जाए और मेसर्स सुनील अग्रवाल का खदान भी जंगल क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र का है उसको भी रोका जाए। इनको यदि नहीं रोका गया तो जंगल में इनका प्रदूषण धूल जायेगा उससे पोधों का प्रकाश संश्लेषण नहीं बन पायेगा, पूरे पत्तों पर डस्ट का लेयर जमाव हो जायेगा। जैवविविधता को नुकसान पहुंच रहा है, इस क्षेत्र में जांच करा लीजिये। छोटे–छोटे कीट पतंग नष्ट हो जायेगें इनकी प्रजाति विलुप्त हो जायेगी। छोटे–पौधे, झाड़ियों की प्रजाति नष्ट हो जायेगी और इस क्षेत्र में ग्रामीण आदिवासियों का जो आजीविका का आधार है

तेन्दू पत्ता, महुआ, चार, सराई बीज, डोरी ये जो होता है न इनका उत्पादन बंद हो जायेंगे। हमारे जिले के लारा पॉवर प्लांट के कारण उस क्षेत्र में मुनगा इत्यादि कई साग–सब्जी विलुप्त हो गये। मुनगा का फल नहीं पकड़ रहा है इसका वही कारण है ये प्रदूषण। अभी हमारे राजेश त्रिपाठी भाई बता रहे थे इसी पत्थर खदान के कारण सिलिकोसिस की बीमारी हो रही है, क्या इन्होने बताया है अपने ईआईए रिपोर्ट में कि पत्थर खदान से धूल से सिलिकोसिस की बीमारी हो सकता है और इस बीमारी से बचाव का कुछ साधन बताया है। तो हमारे कहने का मतलब है सर कि ये वनस्पत्ति को भी नष्ट करेगा उसके विकास में भी बाधा होगा, जैव विविधता को प्रभावित करेगा, मनुष्य का, जानवरों का स्वास्थ्य भी खराब होगा। मनुष्य का प्रजनन दर भी इससे प्रभावित होगा सर। मैं नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर कहते हैं विशेषज्ञ बताते है। इन्होंने बाताया इस परियोजना के लिये जो कन्सल्टेंट कम्पनी जिसने ईआईए रिपोर्ट तैयार किया है अल्ट्राटेक कम्पनी है जो महाराष्ट्र का स्थानीय क्षेत्र का पता है, इनका जो वैद्यता है लाइसेन्स का जो भारत सरकार जारी करता है वो 3 जनवरी 2025 तक है, तो इनका वेलिडिटी समाप्त हो गई है इस बात को ध्यान देगें। आज इनका कौन से कन्सल्टेंट का अधिकारी यहां अपनी बात इन्होंने बताया है इतना तो बता दीजिये सर। कौन से कन्सल्टेंट कम्पनी के लोग आये थे? आदरणीय साहू सर! यही अल्ट्राटेक वाले प्रस्तुत किये थे तो इनका जो लाइसेन्स है वैद्यता वो 03 जनवरी 2025 तक था हो सकता है 2025 के पहले इन्होने रिपोर्ट तैयार कर रखे हों मगर आज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, और अभी जब हम पूछेंगे शाम को तब भी उनको जवाब देने का अधिकार नहीं होगा। लाइसेन्स वैद्यता उनका खतम हो चुका है इस बात को ध्यान देगें। फोन से रिन्युवल ऑर्डर कर लेगें दिल्ली से बात अलग है भाई। मोदी जी के शासन काल में सब हो सकता है। मोदी जी हैं तो मुमकीन है। यहां का जंगल का धरमजयगढ़ वन मंडल के तहत आता है तो हमारे आदरणीय वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ ने अपनी रिपोर्ट दी है उन्होने बताया है जितने भी है ये क्षेत्र का जो ये आबादी जमीन का स्वामित्व उसमें इन्होनें कहीं नहीं लिखा, नाम लिखा चैतराम पिता सुखीराम, आशामोती पिता सुखीराम, बीरसिंह पिता बर्री तिर्की, नयर माझी, भुवन राम, उन्होने जाति नहीं बताया है कि ये अनुसूचिज जनजाति के हैं कितना छुपाने का काम इन्होंने किया है और कम्पनी ने भी आदिवासी की जमीन है इस बारे में जानकारी नहीं दी है। वनमंडलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दिया है उसने बता दिया है कि इस क्षेत्र में कोई अन्य खदान है क्या? केवल हां लिख दिया है, कितनी दूरी में है, किसका है? ये नहीं बताया है। क्या ये पहाड़ी मैदान है तो हां ये समतल मैदान है बता दिया। आप किसी प्राकृतिक जमीन को जो जंगल के करीब हो, आप 2 साल से उसको समतल कर देंगे तो समतल हो जायेगा क्या? प्राकृतिक रूप से समतल नहीं था। इतने दिन से वो समतल नहीं था और वनमंडलाधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन नहीं हुआ है कितनी गलत रिपोर्ट दी है। मेरा कहना है आप जांच करिये आज और वनमंडलाधिकारी पर कार्यवाही कीजिये, झूठी रिपोर्ट दी है। आदरणीय पीठासीन अधिकारी 06 अगस्त 2022 को ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर से इन्होंने अनापत्ति लिया है और सरपंच, सचिव एवं पंच लोगों ने हस्ताक्षर किये

(15)

हैं। उन्होने बताया है कि खसरा नं 115, 110, 111, भूमि को अस्थायी बैस कैम्प के निर्माण हेतु किराये पर लिये है, जिसमें गौण खनिज भण्डारण, धर्मकांटा, डीजल स्टोरेज पम्प क्रेशर वर्कशॉप, मिक्सिंग प्लांट, सड़क निर्माण सामग्री, पेयजल की व्यवस्था करना चाहते हैं उस जमीन पर, इस नाम से उन्होंने पंचायत से अनुमति ली है। पंचायत को इन्होनें धोखे में रखा है, गुमराह किया है पंचायत को। हमारे खनिज विभाग रायगढ़ ने दिलीप बिल्डकॉन कंपनी को पत्र दिया उसने बताया है कि आवेदित क्षेत्र के 200 मीटर की परिधी में रेल लाईन, नहर, स्कूल, धार्मिक स्थल, बांध, नल–जल योजना, आबादी क्षेत्र अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, दर्शनीय स्थल नहीं होना चाहिए। आज जांच करा लीजिए इसमें से अधिकांश क्षेत्र जो 200 मीटर की भीतर में हैं। आदरणीय महोदय ये तमाम चीजों को आप विचार कीजिए इन्होंने शासन को धोखा दिया है, झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, गलत जानकारी दिया है और संचालित खदान को इन्होंने नयी परियोजना बताया है। आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है, पेसा कानून लागू है उनके प्रावधानों का पालन नहीं किया है ईआईए अधिसूचना 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। इन तमाम बातों को ध्यान देते हुए आपलोग मनन करिये और ये जीतने भी बातें हमने रखा है इसको भी आप प्रश्न पूछिये। इनके कन्सल्टेंट से जिसको कि गैर कानूनी होगा कन्सल्टेंट का जवाब देना होगा, उसका अधिकार ही नहीं उसका लाइसेन्स समाप्त हो चुका है जनवरी में। तो ये तमाम चीजों को सोचकरके आप लोग इस जनसुनवाई को यहीं स्थगित करिये आगे तमाम शर्तों का पालन कराने के बाद ही आप जनसुनवाई करा सकते हैं कहीं पर अभी स्थगित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

101. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – आप सभी का आज की जनसुनवाई में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की जनसुनवाई 2.72 हेक्टेयर में गिट्टी खदान के लिये जनसुनवाई कराया जा रहा है। आवेदन के 45 दिन के अंदर जनसुनवाई कराया जाना चाहिये अगर नहीं करवा पाते तो केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय जनसुनवाई करवायेगा। यहां 10 किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन किया बोलते है लेकिन यहां जमीनी स्तर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। यहा हाथी प्रभावित क्षेत्र के 10 बोर्ड मिले है लेकिन इनके ई.आई.ए. में कहीं नहीं लिखा है कि यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जिसकी हम जनसुनवाई कर रहे है वह पहले से ही खनन की प्रक्रिया जारी है। छाल के अंदर मैं 2 किलोमीटर 1 घंटे से निकल पाया हूँ। यहां और 34 खदाने आने वाली है। रायगढ़ में 550–600 तक पी.एम.10 की मात्रा हुई थी इसे भी ई.आई.ए. में नहीं लिखा है। यहां जो काम करने वाले मजदुर होंगे जो लाईम स्टोन पत्थर तोडेंगे जिससे सिलिकोसिस बीमारी होगी और जो ब्लास्टिंग करेंगे, क्रशिंग करने उनके स्वास्थ्य का क्या परीणाम होगा ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। खदान बंद होने के बाद वृक्षारोपण करेंगे जो कंपनियां कहती है वो करती नहीं है। रायगढ़ जिले में एक अध्ययन के मुताबिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो एक बीमारी होती है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी के इलाज हेतु अध्ययन चल रहा है तथा स्रोत भी चल रहा है। रायगढ़ जिले में 04 बच्चे मिले तथा पूर्ण छत्तीसगढ़ में 45 बच्चे मिले इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि यह जो कंपनी सीएसआर के तहत क्रांति ला देगी, लोगों की

गरीबी हटा देगी, लोगों की भुखमरी हटा देगी, लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान देंगे। तो आपको बता दूं कि अलग–अलग कंपनियों द्वारा सीएसआर का पैसा 56 करोड रुपए है। इसके तहत मैं कंपनियों को उन बच्चों को साइकिल के लिए, दवाई के लिए अपील किया। एक कंपनी का मालिक ने हमसे कहा कि जावें कलेक्टर महोदय से मार्क करवा कर लाना, तत्पश्चात सीएसआर के तहत आपको साइकिल देंगे, हमारी मदद करेंगे। दूसरे दिन मैं कलेक्टर साहब के पास गया और 1 पत्र कंपनी के नाम से और कलेक्टर महोदय के नाम से लिखा। उस पत्र को उन्होंने महेश शर्मा साहब को मार्क किया वहां पर लगभग 3 सप्ताह रुका। उन बच्चों को इन कंपनियों से मदद नहीं मिल पाई। रायगढ़ जिले में वर्ष 2024–25 में 272 करोड रुपए सीएसआर के तहत खर्च किए गए हैं तथा 256 करोड रुपए डीएमएफ में खर्च हुआ और उनके लाभार्थी को यह पता नहीं की खर्च हुआ तो हुआ कहां। इनका डीएमएफ का पैसा रायपुर राजधानी में तथा रायगढ़ में खर्च होता है। जबकि यह नियम है कि खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि पर खर्च होना चाहिए जबकि वहां खर्च नहीं होता है। तो कंपनी एक तरीके से सरकार तथा लोगों को ठगने का काम कर रही है। हमारे यहां डीएमएफ की कोई बैठक 3 साल से नहीं हुई है और लगभग 287 करोड रुपए खर्च भी हो गए हैं और खर्च किस में हुए हैं किसी को पता नही है। खर्च लोकसभा चुनाव के वीडियो ग्राफी में या यहां के कार्यक्रम होता है उसमें तीन करोड रुपए खर्च हुआ है। महोदय आप मेरे साथ चलेंगे, जो तमनार के क्षेत्र हैं वहां जो पीने के पानी के स्रोत हैं वह सब सुख चुके हैं वहां पर पानी नहीं है। पर जो सरकार की नल जल योजना चल रही है वह छत्तीसगढ़ के सबसे भ्रष्ट परियोजना है। आप जाकर किसी भी गांव में देख लीजिए ना तो नल लगे हैं ना ही पानी आता है। यहां एक सिसरिंगा गांव है वहां मैं अध्ययन के लिए आया था, तो एसडीएम पटेल साहब थे। वह बोले कि यहां देखने आईयेगा, यहां के घर–घर में सप्लाई हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। आऊंगा सर ! जब जाकर मैंने श्री सिसरिंगा गांव में जा कर देखा तो पाया कि जो सरकारी हैंडपंप होता है उसे निकाल कर बोर डाल दिया गया है। इससे यह स्थिति हुआ कि वह बोर भी धस गया है। महोदय जी मैं बात करना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए कंपनी बड़ी दावा करती है कि भवन बनवाएंगे, शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में जिंदल हॉस्पिटल का निर्माण करेंगें। मेरे को तो पता चला है कि जिंदल हॉस्पिटल में लोगों की किडनी निकालने लेते है और यह बोलते हैं कि यह सीएसआर मद के तहत स्कूलों तथा अस्पताल बना हुआ है जबकि स्कूलों में फीस लिया जा रहा है तो कहां से सीएसआर मद के तहत हुआ। अगर पुलिस विभाग के दुर्घटना आंकड़े को देखें तो 1 साल के अंदर 364 व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे हैं और हजारों की संख्या में विकलांग हुए हैं। आज हजारों की संख्या में वाहन चल रहे हैं और खदान पर खदान, खदान पर खदान आते जा रहे हैं। उससे सड़क से होने वाले दुर्घटना को हम कैसे रोके इस पर भी हमें विचार किया जाना चाहिए तथा कंपनी को विचार करना चाहिए। महोदय जब हम जंगल की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले अंतर्गत जो जंगल का प्रतिशत था 43 प्रतिशत था और वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत ही बचा हुआ है, जो कि 10 से 15 प्रतिशत जंगल कम हुआ है। वह कोल

माइंस पावर प्लांट आदि कंपनियों के कारण हुआ है। मजे की बात यह है कि सर कि हम अपने क्षेत्र का जंगल को नष्ट करके हम शिमला घूमने जाते हैं। वहां के वादी का आनंद लेते है। महोदय जी आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे भ्रष्ट जिला रायगढ़ है। महोदय मैं यह कह सकता हूं कि आदमी शिकायत करने कब और किसके पास जाए और जाए तो इनका सुनता भी कौन है। भारतमाला कंपनी मुआवजा में सबसे बड़ा घोटाला करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारतमाला कंपनी का तरीके से जांच किया जाए तो एक दर्जन से ज्यादा शासकीय कर्मचारी अंदर हो जाएंगे। हमारी जानकारी में है इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है महोदय की एक व्यक्ति का 05 एकड़ जमीन जा रहा है उसका मुआवजा 40 लाख रुपऐ जबकि एक व्यक्ति का 02 एकड़ जमीन जा रहा है और उसका मुआवजा बन रहा है 3 करोड़ रूपये हो रहा है। अब इसकी कौन जांच करेगी कि जिसके खाते में 03 करोड़ गया है वह कब–कब और कितना–कितना निकला है। उसका भुगतान कहां–कहां हुआ। इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। महोदय जी इन कंपनियों के कारण रायगढ़ का पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। रायगढ़ में खाद्य सुरक्षा दृष्टि से आदिवासी क्षेत्र होने के नाते यहां लोगों को कृषि, पशुधन एवं वन उपज इनके मुख्य कार्य है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा इस प्रकार खतरे में पड़ी है। महोदय जी बताना चाहूंगा कि महिला बाल विकास का पोषण दिवस का अभियान चलाया जाता है उसके अंतर्गत रागी के लड्डू बनाया जाता है उस लड्डू को महिला एवं बाल विकास के अधिकारी लोग खा गऐ। जिनको मिलना था उनको नहीं मिला। महोदय स्थिति यह है कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत 55000 कुपोषित बच्चे है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह महिला बाल विकास का आंकड़ा बोल रहा है और लगभग 70000 के आसपास कुपोषित गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन सब में सीएमआर का पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है और रागी का जो लड्डू है उसे अधिकारी खा गए। महोदय जी अगर आप बोल रहे हैं या बड़े उद्योग और बड़े माइंस आने से विकास होगा तो पहली परियोजना रायगढ़ जिले में 1994 में आई थी। जिस क्षेत्र में कोयला खदान खुली उसे क्षेत्र में अभी तक किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। उस गांव क्या, वहां के आसपास के गांव में भी आज तक किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ और ना ही वहां के आदिवासियों को पेयजल की व्यवस्था मिली वहां के बच्चों को प्राईमरी स्कूल तक नहीं मिली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिला तो हम कौन से विकास की बात करते हैं और विकास के अंतर्गत यहां के आदिवासियों के जड़ जंगल और जमीनों के लूट के अलावा कोई विकास नहीं हुआ। अभी तो 2 साल से आदिवासी मुख्यमंत्री है तो उसे दो गुना लूट हो रहा है और विभाग में 6 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार चालू है। हम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो मुझे यह कहना है कि कंपनी की एक नैतिक जिम्मेदारी है और पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाने वाले की भी यह जिम्मेदारी है की लगभग एक दर्जन से ज्यादा छत्तीसगढ़ में पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी को मैं जानता हूं की एक तथ्यात्मक अध्ययन हो और दूसरा हम जहां कहीं भी काम कर रहे हैं लोगों के प्रति संसाधनों को यह भरपाई किए जाने

पर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर ! मुझे इसी बात को कहना था जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

102. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – आज की जनसुनवाई में उपस्थित सभी नागरिकगण, पत्रकार साथी, प्रशासनिक अमलों के अधिकारी कर्मचारी गण और में मंचीय अधिकारी कर्मचारी गण मैं आप सबको नमन करता हूं। यह जो जनसुनवाई हो रहा है और इसका जो ईआईए है मैं लगभग 25 – 30 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आया यह खदान के लिए जनसुनवाई हो रही है लेकिन कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय जनसुनवाई के लिए जो प्रावधान बने हुए हैं जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचनाएं हैं जिसके अंतर्गत यह जनसुनवाई होनी चाहिए उसके अंतर्गत नहीं हो रहा है। हमारे पूर्व साथियों ने जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की तो उसके आधार पर आपको इसे निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि कानून का उल्लंघन कर रही है तो वह हमें समझ आ रहा है लेकिन आपकी जानकारी आपके संज्ञान में अगर आ गया कि कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसके बाद यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो यह उचित नहीं है। आप अपनी कर्तव्यों का अपने अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। साहू साहब को नहीं बोलूंगा साहू साहब बोलते हैं हम मजबूर है अब पता नहीं इनके कनपटी में कौन बंदूक रख दिया है तो यह मजबूर है अवैध जनसुनवाई के ठेका इनको मिला हुआ है तो यह तो भ्रष्ट है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं मैं तो आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं आप नई पीढ़ी से हैं संविधान का पालन होना चाहिए कानून का पालन होना चाहिए। जिस कंपनी का लाइसेंस निरस्त हो गया है चलिए सामने में उनसे पूछ लीजिए क्या उन्होंने रिनीवल करवाया है मांग लीजिए आप देख लीजिए अगर नहीं कराया है तो फिर प्रश्न ही नहीं उठाता है कि आप इस जनसुनवाई को पूरा कराए। हमारे साथ ही ने उस बिंदु पर अपना बात रखा था तो वह जनवरी में समाप्त हो गया है। तो उस आधार पर वैधता समाप्त हो चुकी है जनसुनवाई नहीं हो सकती जनसुनवाई का जो प्रावधान है उसमें आवेदन के 45 दिनों के भीतर तो आप उठा कर देख लीजिए 45 दिन के भीतर नहीं है तो राज्य सरकार को अधिकार नहीं है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तय करेगी की जनसुनवाई कैसी होनी है पीठासीन महोदय आपसे मेरा निवेदन है आप जिस कर्तव्य के लिए बैठे हैं उसको पूरा करें वह अच्छा है अभी आप मोबाइल देखेंगे यह देखेंगे वह देखेंगे या तो आपने ईआईए रिपोर्ट नहीं पढ़ा या जनसुनवाई के प्रावधानों को आपने।

पीठासीन अधिकारी महोदय – देखिए आप बिंदुओं पर बात कीजिए मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूं आपकी बात ही नोट कर रहा हूं यह नोटपैड है।

राधेश्याम शर्मा – मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आप इस प्रावधान को जानते हैं कि नहीं पढ़े हैं या नहीं फिर मैं उसे ढंग से बात करूंगा ।

पीठासीन अधिकारी महोदय –आप अपनी बात रखिए।

(18)

राधेश्याम शर्मा – मैं अपनी बात करूंगा आपसे तो करूंगा आप पीठासीन अधिकारी हैं आप मेरी बात का जवाब देने के लिए बाध्य है तो यह जो कंसलटेंट कंपनी है इसका समाप्त हो चुका है क्या रिनिवल हुआ है पूछिए उनको और रिनिवल है तो मुझे दिखा दे और जो आवेदन राज्य सरकार को दिया गया है उसके 45 दिनों के अंदर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आप निरस्त करिए। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचना है वही कानून है पर्यावरण का 14 सितंबर 2006 और उसमें जो संशोधन हुआ है। तो आप बैठ नहीं सकते आप इस जनसुनवाई को करवा नहीं सकते पहले मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आपने कानून नहीं पढ़ा है जनसुनवाई के प्रावधान को नहीं समझा है और आप जनसुनवाई कर रहे हैं। साहू साहब को नहीं बोल रहा हूं यह तो पर्यावरण अधिकारी हैं अपने जिम्मेदारी को भेज दिए हैं। हम मजबूर हैं बोलते हैं इनसे बात करें तो भी यही बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते कैसे कुछ नहीं कर सकते स्पॉट वेरिफिकेशन होता है कि नहीं साहू साहब को मालूम है कि नहीं यहां 7 महीने से खुदाई हो रही है मकान ध्वस्त हो रहे हैं पेड़ों की कटाई हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रश्न कर रहा हूं मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड जो है क्या भारत माला परियोजना का ठेकेदार है, या सिर्फ गिट्टी का सप्लायर है इसे आप पहले क्लियर करें। अगर सिर्फ सप्लायर है तो भारत माला परियोजना टेंडर जिनको मिला है वह यहां लिखते कि हमको गिट्टी के लिए खदान की आवश्यकता है, तो पहले आप यह क्लियर कर दें कि यही कंपनी है जो सड़क को बनाएगी या यह सिर्फ गिट्टी सप्लायर है मैं कोई भी बात नियम से कानून से हटकर नहीं कहूंगा और 7 महीने से यह कंपनी खनन कर रही है वह भी अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के अनुमोदन की यह काम जारी रखा है जबकि इनको करना यह था कि पहले जनसुनवाई होता उसके बाद खनिज विभाग को इनका पट्टा या लीज देना था क्योंकि ईआईए रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि कंपनी सिर्फ भारतमाला परियोजना के लिए उत्खनन करेगी तो यह 7 महीना से किसके लिए उत्खनन कर रही है और कैसे अनुमति मिल गई जबकि जनसुनवाई आज की तारीख में हो रही है तो इतना झमेला हम लोग के समझ से बाहर है हम लोग कम पढ़े–लिखे आदमी है आप पढ़े लिखे हैं आपकी योग्यता के अनुसार आपको पद मिला है अपने संघर्ष किया है। मेरा तो पहले यही निवेदन है कि आप इस अवैध जनसुनवाई को निरस्त करें। इस पर आपको तत्काल निर्णय देना होता है आप पीठासीन अधिकारी हैं दंडा अधिकारी के पद पर हैं आप यहां कलेक्टर बन कर बैठे हुए हैं उनकी समस्त शक्तियां आपके पास है। इनको मैंने कई बार बोला जनजीवन से क्यों खेल रहे हैं करोड़ों रुपए जमा कर लिया है कोई धंधा पानी करिए पता नहीं कौन–कौन सी एजेंसियां हैं इन अधिकारियों का जांच क्यों नहीं करता। चलिए आप निर्णय करिए और मुझे बताइए क्या मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन ही इस सड़क को बना रही है। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं गलत जनसुनवाई कर रहे हैं निरस्त करिए इसे। आप ठेकेदार है क्या क्या जनसुनवाई करने का ठेका लिए हैं।

पीठासीन अधिकारी महोदय – आप अपनी बात रखिए।

राधेश्याम शर्मा – मेरी बात सुनने के लिए क्या मैं कोई प्रवचन करता हूं कोई धार्मिक व्यक्ति हूं प्रवचन कर रहा हूं जो आप सुनने के लिए आ गए हैं। आप पहले अपने कर्तव्य को जानिए जनसुनवाई क्या है कैसे होता है क्या नियम है क्या अधिसूचना है आपने पढ़ा नहीं है और यहां कैसे बैठ गए चलिए आप निकल लीजिए यहां से। आप अपनी पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते आप यहां से निकलिए है मैं कोई और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं आप संविधान का पालन करिए। आप सेवा शर्तों में आए हैं ना आप सेवक हैं मैं शासक हूं आप मेरे सामने अपने पद का दुरुपयोग करेंगे कैसे करेंगे आप चलिए निकलिए यहां से। मैं जनसुनवाई कंप्लीट नहीं करने दूंगा।

पीठासीन अधिकारी महोदय –सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बात रखिए।

राधेश्याम शर्मा – सुनने के लिए नहीं कानून का पालन करने और करवाने के लिए आए हैं आप। आप श्रोता नहीं है आप अधिकारी हैं। आप अपने कर्तव्य का उपयोग कब करोगे। आप इस और असंवैधानिक जनसुनवाई को नहीं कर सकती यह आपका अधिकार नहीं है। आप शासकीय सेवा में है आप अपने अनुबंध को याद करिए। हम आपको कंप्लीट नहीं करने देंगे आप मजाक समझ रखे हैं अगर आप जनसुनवाई निरस्त नहीं करते हैं तो मैं इसे कंप्लीट नहीं होने दूंगा। मैं अपनी गरिमा में बात कर रहा हूं लेकिन आप बोल देंगे मैं नंगा हूं भ्रष्ट हूं, फिर मैं आपसे उद्दंडता से निपटूंगा। अभी आपके सामने में आया ना घर टूटने का जनसुनवाई अभी हो रहा है और खदान कैसे चालू हो गया दिलीप बिल्डकॉन के अधिकारी को हथकड़ी लगाना चाहिए। यह पुलिस अधिकारी बैठे हैं क्या करने के लिए बैठे हैं। दिलीप बिल्डकॉन के अधिकारियों को गिरफ्तार करवाइए की यह गिट्टी की चोरी कैसे कर रहे हैं यह सिर्फ परियोजना के लिए उत्खनन करना है सात माह से यह किस लिए उत्खनन कर रहे हैं। उसके बगल में एक और खदान है मेसर्स सुनील का दोनों ब्लास्टिंग कर रहे हैं मकान गिरा नहीं कोई मरा नहीं आप करने का इंतजार कर रहे हैं क्या आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे कौन दिया यह अधिकार आपको आप संविधान से ऊपर हो ऊपर हो राष्ट्रपति से ऊपर किससे ऊपर हो। आप आप बोल रहे हैं सब नोट हो रहा है नोट क्या हो रहा है आप अपना कलम चलाओ। आप अपने कर्तव्य का उपयोग करो मेरे पास इतनी फालतू समय नहीं है कि इतनी दूर से चलकर आया हूं। यह कंपनी जो अधिसूचना जारी की है राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी समाचार पत्र में या भारतवर्ष है यह कैसे हम उसको पढ़कर समझ सकेंगे और प्रदेश स्तर में जो पेपर होना चाहिए उसमें सूचना की होनी चाहिए रायगढ़ जिले के पेपर में करवा दिए प्रदेशवासियों को कैसे पता चलेगा। यह कंपनी जो किया वह धोखाधड़ी है जानकारी छुपा रहे हैं जिस जानकारी को जनता को जानने का अधिकार है और आपका नाम नहीं समझ रहे हैं तो पढ़ लीजिए एक घंटा दो घंटा में इंतजार कर रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं वह कानून में है कि नहीं है बिना पढ़े आ गए हमको तो कलेक्टर साहब बोल दिए हमको तो आना है कलेक्टर तो चोर है हरामखोर है आप भी हरामखोर बन जाओगे क्या उसके साथ। यहां का पर्यावरण मंत्री हरामखोर चोर है आप भी कर बन जाओगे क्या। आपको दंडाधिकारी के पद पर बैठकर मनमानी करने नहीं दूंगा चलिए निकालिए आप नहीं

कानून समझ में आया है तो बोलिए सबके सामने आप और समझ में आया है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए यह प्रावधान है की आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा तब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी आप नोट करवाओ बोलते जाओ मैं नौकर हूं आपका आप मेरे वेतन भोगी हो मैं शासक हूं इस लोकतंत्र में। मेरे को प्रवचन दे रहे हो नोट करवा रहे हैं करके एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो कानून का अपने पद का कर्तव्य का समझ नहीं है यहां पर आकर बैठ गए हो चलिए निकालिए यहां से नहीं तो मैं मरूंगा आपको जो करना है पुलिस कर लेगी। हथकड़ी लगाओ इस कंपनी को इस जलसुनवाई को निरस्त करिए। आप मेरे साथ चली कितने घर टूटे हैं कैसे यह ब्लास्टिंग करेगा अनुसूचित क्षेत्र में गांव से लगा जहां जनजीवन है वह ब्लास्टिंग कर रहे हैं मकान टूट जा रहा है आदमी मर गया होता तो आप जिंदा कर देते अनुसूचित क्षेत्र है ना पांचवी अनुसूची लागू है ना बताइए ग्राम सभा का अनुमोदन बताइए आप करवाए हैं यह साहू साहब करवाए हैं कहां है बताइए आगे का प्रक्रिया बताइए आप बोल रहे हैं बस बोलते जाओ सुनना नहीं है आपको काम करना है।

पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा कहा गया–आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप अपनी बात रखिए।

राधेश्याम शर्मा – या तो बोलिए मैं भ्रष्ट हूं शांतिपूर्वक क्या है अभी चप्पल फेंक के मारता आपको। अशांति फैला रहा हूं क्या। आप ठेकेदार हैं क्यों पढ़ लिख कर बैठे हैं अपर कलेक्टर का पद है वह दंडाधिकारी का पद है। आप चपरासी हो क्या पढ़े–लिखे आदमी को मूर्ख जैसे बात कर रहे हैं शर्म आ रही है आपको जो इतने लोगों के बीच में सार्वजनिक जगह में बोल रहे हैं थोड़ा बहुत शर्म है। चलिए आप निकालिए कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी मैं तोड़ दूंगा कैमरा सब अपराध तो दर्ज होगा उसके लिए तैयार बैठा हूं मैं। बंद करिए। कलेक्टर से पूछिए आपके मुखिया से निपट जाओगे उसके चक्कर में मर जाओगे आप निपट जाओगे। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आपको अपने पद का दुरुपयोग नहीं करने देंगे यहां कौन बचाएगा आपको। बचपन से जेल देख रहा हूं अभी आपको चप्पल उठाकर मार दूं कि यह भ्रष्ट है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करने की बस यही ना इसके लिए मैं तैयार हूं छोड़ दो आप इस जगह को। भाग जाओ यहां से अपनी इज्जत बचाओ वही अच्छा होगा आपके लिए और यह जो कंसलटेंट कंपनी रिपोर्ट बनाई है तत्काल रिपोर्ट दर्ज करिए एडिशनल साहब बैठे हैं उनकी गिरफ्तारी यही करवाइए यह गिट्टी चोरी कर रहे हैं अवैध रूप से खनन कर रहे हैं इसमें जब सिर्फ 3 साल के लिए है तो प्रशासन ने आंख बंद करके 30 साल के लिए दे दिया है आप इस स्पॉट वेरिफिकेशन में गए थे या नहीं हां या ना में बता दीजिए। आप मुझे आदेश कर रहे हो क्या आप हकदार हो क्या उसके कि वह सीमा है कि आप मलिक को आदेश करें मैं आदेश देता हूं इस देश में आदेश सुनता नहीं किसी का कोई मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो किसी हरामखोर का मैं आदेश नहीं सुनता जो वेतन भोगी है उनको सुनना पड़ेगा मेरा देश अगर आप नहीं सुनोगे तो आपकी वह गति करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में पछताओगे कि मैं प्रशासनिक सेवा में क्यों आया धमका नहीं रहा हूं पुलिस अधिकारियों और प्रेस के सामने में बोल रहा हूं तो आप रात को करूंगा आज। हसदेव कट रहा है और पेड़ कटाई हो रहा है बिलासपुर संभाग में अवैध कटाई हो रहा है जंगलों का। पीठासीन महोदय एवं साहू साहब

आपने प्रावधानों को पढ़ा नहीं है। आप देश के पहले व्यक्ति नहीं है की जनसुनवाई को स्थगित करेंगे दर्शनों जनसुनवाई रायगढ़ छत्तीसगढ़ ही नहीं दूसरे प्रांतों में भी हमने करवाए हैं सामाजिक कार्यकर्ता है प्रदूषण भी एक मुद्दा है जिस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। सब चोर है भ्रष्ट है यह की रिपोर्ट को जो गलत है उस पर एक लाइन नहीं लिख सकते बोलते हैं हम मजबूर हैं क्यों मजबूर हो कौन गोली मार दे रहा है आपको और इतना ही डर में है तो क्यों नौकरी में हैं। 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना पढ़ लीजिए और नहीं पढ़े हैं तो क्यों आए हैं। निमंत्रण मिल गया 5–10 लाख का एक फोटो अटैची मिल गया और आप आ गए यहां पर मुंह उठाकर ऐसा नहीं चलेगा। मैं 9 दिन बिना खाए पिए खड़े रहकर बोल सकता हूं आप सुन पाओगे क्या, वह मेरा अभ्यास है आपको डरा नहीं रहा हूं और अगर आप बोलोगे कि मेरा है सामर्थ्य है निपटने का तो चलो यहीं पर हम खड़े हैं कितना समय तक आप बैठे रहोगे हम देख लेंगे। बंद करिए आप इसको पालन करिए बार–बार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप जैसे अधिकारियों से कानून के पालन का अपेक्षा है। फोन कर लीजिए कलेक्टर साहब को वह भी आपको साहू साहब जैसे बोलेंगे बैठे रहो चुपचाप गाली खाते हो तो खाते रहो। यह तो गाली खा खा कर पूरा ध्वस्त होग गया है। इनका कान सुनाई नहीं देता, इनका आत्म सम्मान मर चुका है, कीड़े मकोड़े से बद्तर स्थित है इनकी। इनके साथ आप क्यों कंपटीशन कर रहे हैं। कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दूंगा मैं, आप समापन की घोषणा करने से पहले मैं यहां तोड़ फोड़ कर दूंगा। आप नहीं कर सकते ऐसा मनमानी हम कोई गुलाम है क्या यहां अंग्रेज का राज है क्या। विष्णु देवता है हिटलर का बाप बन गया क्या, आदिवासियों का शोषण करेगा। मेसर्स सुनील एक कंपनी है उसके ब्लास्ट से घर टूट रहा है कोई मरा नहीं कर रहे हैं। चलिए एक सूचना नोट करिए आप कि जान माल की क्षति हो रही है अगर जान जाती है तो वह राही साहब की होगी क्योंकि पीठासीन अधिकारी आप है। यह ईमानदार होते तो पहले ही लिख देते नियमों के अनुसार वापस भेज देते राज्य सरकार को। प्रावधान पढ़ लीजिए आप नहीं पढ़े हैं मैं जान रहा हूं। आप अभी पढ़ कर आ रहे हैं और उसे देश के संविधान को मैं जानता हूं या नहीं बोल सकते इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकता अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठा है वह भी दावा नहीं कर सकता एक समय में पढ़ लिया रट लिया परीक्षा पास कर लिया हो गया। दिल होने वाले राजनीतिक दलों के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं ऐसे हरामखोर लोग संविधान का पालन करवाएंगे चाहे हाई कोर्ट में बैठ जाए या सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए आप तो नहीं पीढ़ी के हो दंडाधिकारी के न्यायिक पद पर हो प्रशासनिक पद में हो आपके पास में राष्ट्रपति का जो न्यायाधीश में है और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी शक्तियां आपके भौगोलिक क्षेत्र में आपको मिला हुआ है आप क्यों नहीं कर रहे हैं आपका कोई हाथ काट दिया है की कलम चलाने में आपको दिक्कत जा रहा है दर्जनों कलेक्टर बताऊंगा मैं जो जनसुनवाई को निरस्त किए लेकिन अभी पता नहीं कलेक्टरों को क्या डर बैठ गया है की कौन गोली मरवा देगा, इनका क्या कान्ट्रेक्ट है उद्योगपतियों से, क्या लेनदेन कर रहे हैं यह समझ से परे हैं बंद कर दीजिए साहब मेरे को फालतू मत बोलवाए। मेरा उर्जा खराब मत करवाइए। कंपनी को बुलवाई वह भारतमाला

का ठेकेदार है कि नहीं। कहां है वह अगर वह नहीं है तो आप जनसुनवाई नहीं कर सकते कोरम पूरा नहीं है अभी। भारत माता वह जय माता है की ब्रह्म माल है जो भी है वह रोड परियोजना है उसका समर्थन है बनना चाहिए आम नागरिकों के लिए देश के विकास के लिए बन रहा है इसका विरोध नहीं है लेकिन कानून का उल्लंघन शासन प्रशासन जनता के साथ धोखाधड़ी और यह फर्जी रिपोर्ट है। जो कूट रचना किया जाता है उसका अलग धारा है उसको किसी को देने का, गुमराह करने का अलग धारा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, जनता को सामूहिक रूप से गुमराह किया जा रहा है चलिए रिपोर्ट दर्ज करवाइए का धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करवाइए। चलिए सहब निर्णय कीजिए। गलत ढंग से जनसुनवाई पूरा नहीं कर सकते मैं नहीं करने दूंगा। आप जो पढ़ाई पढ़े हैं उसे पर मेरे को संदेह हो रहा है चलिए कलेक्टर साहब से बात करिए और आप चौधरी से बात कराइए। मौनी बाबा बनने से काम नहीं हो पाएगा।

पीठासीन अधिकारी महोदय – आप अपनी बात रखिए जनसुनवाई में और भी लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं उनको भी मौका देना है सभी को मौका मिलना चाहिए आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए उसके बाद उनको भी मौका मिलना चाहिए।

राधेश्याम शर्मा–समय देकर मेरे पर एहसान कर रहे हो क्या, मैं आपको समय दे रहा हूं आप अपने पद का दुरुपयोग बंद करिए और गिरफ्तार करवाइए इनको चोर लोगों को। आज की जनसुनवाई में ग्रामीण आके बोले की हमारा घर टूट गया है कैसे टूटा है, हाथी तोड़ा होता तो मुआवजा लेते। यह सब के सब मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। बंद करवाइए आदेश करिए। सार्वजनिक जगह में मैं आपको सब बता दिया कि क्या अपराध हो रहे हैं। पीछे हमारे इस क्षेत्र के सम्माननीय लोग हैं किसी को कुछ बोलना होगा कि इस खदान को बंद करवाना है, आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हमको बोलने नहीं दिया गया मैं बगल में खड़ा हूं किसी को बोलना है तो आकर बोल सकता है खदान बंद करवाना है तो अधिकारी को बोलिए कार्यवाही करें।

103. जोसेफ उराव, सेमीपाली – हमारे सेमी पाली गांव में खदान खुल गया है दिनदहाड़े लूट हो रहा है वहां उसके प्रदूषण से बीमार पड़ रहे हैं हम लोग इसको हमें बंद करवाना है दिनदहाड़े ब्लास्ट हो रहा है। दिनदहाड़े हमारा गिट्टी लूटा जा रहा है। कलेक्टर के पास शिकायत करना जाना हमारे लिए समस्या है क्योंकि हमारे पास सड़क बस नहीं है। हम गांव के आदमी हैं। इसको बंद कर दीजिए।

पीठासीन अधिकारी महोदय – कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो आ जाए।

104. जगदीश सिंह राठिया, मिरीगुड़ा – गिट्टी खदान से हम लोगो को नहीं दिया जाता है यह हम लोगो के काम का नहीं है तो इसे बंद होना चाहिये।

105. आनंदराम मिंज – मैं देख रहा हूं आज जनसुनवाई है, लिखा है 09.04.2025 ग्राम पंचायत को पता नहीं है यहां के जनता लोगों को सूचित किया गया है की नहीं यहां का सरपंच कौन है सचिव कौन है सामने आये यहां विधायक नहीं है हमारे यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शामिल नहीं हुए। करना क्या चाहते हैं लोकसुनवाई किसके लिए करते हैं। क्यों होता है और क्या होता है? इसको समझना चाहीये ग्राम पंचायत में

यहां। लिखा है मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ग्राम–सेमीपाली वास्तव में ये ग्राम सेमीपाली में होना चाहीये यहां लक्ष्मीपुर में काहे हो रहा है। निरस्त होना चाहीये सेमीपाली में करेंगें तब तो देखेंगे वहां की स्थिति होना चाहीये वहां होना चाहीये यहां की जनता लोगों का मालूम नहीं है हम भी अपनी जमीन बेचके हम कमा नहीं सक रहे हैं। इस जगह में हम खलते थे कुदते थे वह जमीन कहां गया। मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन देगा हम लोगों को जो बड़े–बड़े पद में बैठे हैं बड़े–बड़े कुर्सी में बैठे हैं उनके लिए मिल रहा है क्यों सो रही है जनता यहां बैठे कौन लोग है, यह सिस्टम गलत है इसको निरस्त कर देना चाहीये। खदान लग रहा है यहां हम लोग नदी में मछली मारने जाते हैं। वहां से हम लोग करील उठाके ला रहे थे हम खेलते कुदते नहाते थे पानी हमको नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है ये खदा कहां से मिल गया। हम तो जानते नहीं विदेश से आ गया ये कौन सा भिलाई दुर्ग से आ गया यहां कौन लिमिटेड चला रहा है कहां के हैं हमको मालूम नहीं है। हम लोग यहां के कर्ताधर्ता नहीं है सब यहां के सरपंच, सचिव या तो यहां के विधायक बड़े–बड़े अधिकारी लोग यहां के माहौल को गंदा कर दे रहे हैं। हम उतना नहीं जानते है विस्तार से उतना नहीं जानते हैं इनको कितना कमीशन दिया है कितना घुस दिया है। हामर छत्तीसगढ़ में कमीशन ला घुस कथें थोड़े–थोड़े जान थन ज्यादा कदेबो हामर ऊपर मारधाड कर दीहीं हामन भी मारधाड़ कर देबो तुम्हर त घलो जीव है। हम आदिवासी हन आदिवासी के जंगल जमीन ला लुटत ह। अभी हामन ला पिये बर पानी नई मिलत है। तुमन शहर में रहिथ हामन गांव में रथन किस स्थिति में जिंदगी हामर गुजरथे जानथ कोई जानथ किसान हैं हम लोग आप लोग कुलर से जी रहे हो हम लो प्राकृतिक वातारण से जी रहे हैं। ताजा हवा शुद्ध हवा मिलता था शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। यहां से जाने के लिए हम लोग धरमजयगढ़, रायगढ़, रायपुर जा रहे हैं। प्रदूषित हवा खा रहे हैं कपड़ा लस्ता पहनते हैं ओ भी गंदा हो जाता है। अभी धरमजयगढ़ से निकलने के लिए कितना प्रदूषित हवा खाते हैं। हम लोगों से रोड टैक्स मांगेंगे, पर्यावरण गाड़ी खड़ा करेंगे रसीद पटाव हम लोग कहां का पटायेंगें शासन कर रहा है गंदा पर्यावरण को बताईये। यहां बैठे हुए माननीय पीठासीन अधिकारी और अपर कलेक्टर और समस्त पदाधिकारी मन सुनत हो हामत बात ला हमन जनता के सुनवाई में आए हन। थोड़ा समझ ल की जनता की समस्या का होत है। बस यहां फॉर्मेलिटी है दिखा रही है लोक सुनवाई हो गया जाकर के पांच दिन में जाकर के भुल जायेंगे पंद्रह दिन में सुनवाई हो गया है। वहीं मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन सामने आयेगा, कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम लोग जब अधिकारी सहयोग नहीं देथें करेंगे जरूर करेंगे विरोध। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद दिलीप बिल्डकॉन बंद करो बंद करो। दिलीप बिल्डकॉन बंद करो बंद करो। चट्टान खदान बंद करो बंद करो आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर हमारे पास एकता रहेगा तो आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद दिलीप बिल्डकॉन बंद करो बंद करो। दिलीप बिल्डकॉन बंद करो बंद करो। चट्टान खदान बंद करो बंद करो आदिवासी एकता विकास जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमस ब एक हैं एक हैं। यहां हम लोग जितना भी वनों से आय कमाते हैं

तेंदूपत्ता से लेकर महुआ चार यहां के साहब लोगों को भी मैं खिलाया तेंदू आप लोगों को कैसा लगा यहां का तेन्दू। कहां खा पायेंगे यहां का तेंदू। खेती कमा पायेंगे जमीन में कोई कमायेगा पौधा का ग्रोथ कोई होगा ग्रोथ मर जायेगा हम लोग क्या खायेंगें। खदान में हम लोग काम करने जायेंगे नो एन्ट्री नो एन्ट्री ईधर से नो एन्ट्री आप कहां के हो ग्राम पंचायत के हो कहां के हो। हम लोग जाते हैं पढ़े लिखे हैं बाकी क्या होता जो बाहर के लेबर आते हैं उनको एन्ट्रीय दिया जाता है। हमारा कोई एन्ट्री नहीं है हम भी कमा खा नहीं सकते हैं क्या, हम लिख पढ़ नहीं सकते हैं क्या हम लेबर काम नहीं कर सकते हैं। हमारा विकास भी खतम हम लोगों का समय भी खतम अब हम लोग कहां जायेंगें। हमारा जमीन लुट रहा है हमको जीने खाने के लिए नहीं मिल रहा है उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे इसलिये हम खदान को बंद कराना चाहते है। करें भी तो लिमिट करें जितना सीमा है लोकहित में करना है वहां तक करें। कालाबाजारी से घुसखोरी से करना चाहीये। जनता की सेवा करना अधिकारियों का कर्तव्य है उसी को हित में करके आप लोग अपना काम करें बाकी जो ये चट्टान खदान है उकसे भी नियमित करके शासन का जो योना है उतना करवायें। बोलेने दिया उसके लिए धन्यवाद।

106. मनोज शर्मा – मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। इनका ई.आई.ए. गलत है, ये लिखते है कि यहां नदी नाला नहीं है लेकिन यहां है इसलिये आपत्ति है।

राधेश्याम शर्मा – सब बोल लिये अब आपके काम करने का समय आ गया है कार्यवाही करिए आप बंद करिए आप इस जनसुनवाई को जो हो रही है गैरकानूनी हो रही है ई.आई.ए. अधिसूचना के जो प्रावधान है जो विधान बने हुए हैं उनका उल्लंघन करके किया जा रहा है फर्जी दस्तावेजों का कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है उसको प्रचलन में लाकर आम जनता को प्रशासन को शासन को गुमराह किया जा रहा है यह भी स्पष्ट नहीं है की जो यह खदान का काम है वह भारत माता सड़क परियोजना के मूल ठेकेदार हैं कि उनके सप्लायर है क्योंकि वह जो परियोजना है राष्ट्रीय स्तर का परियोजना है और वह जिन–जिन राज्यों में जिन क्षेत्रों में काम उनका चलता है वहां के प्रशासनिक प्रक्रिया से वह लीज लेते हैं 2 साल 3 साल जो अवधि है उनके कार्य पूर्ण करने की उस अवधि तक का उस माइंस का पट्टा रहता है ऐसी स्थिति में यह जनसुनवाई हो रही है समाचार पत्र जिले स्तर का है उसे पर अधिसूचना जारी है जो प्रदेश स्तर का होना चाहिए नहीं हुआ है इसकी कंसलटेंट कंपनी यह इतना बड़ा हाथी कॉरिडोर है आने जाने का आप अभी आए गए होंगे देख लीजिए कितने सारे बोर्ड लगे हैं तो यहां माइंस में अगर हो रहा है तो उसकी परियोजना में इसका उल्लेख होना चाहिए क्या–क्या रक्षा के उपाय हैं क्योंकि अगर कहीं भी ऐसा कुछ है और हाथी अगर उसमे गिर गए तो वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना है वन क्षेत्र के लिए जो अधिनियम बना है पैसा क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र है संविधान के पांचवें अनुसूची में है यहां राष्ट्रपति महोदय को अधिकार नहीं है कि वह खिला ठोक सके इस गांव में जहां पर यह कंपनी उत्खनन कर रही है ब्लास्टिंग कर रही है घर टूट रहे हैं तो वह जो घर तोड़ दिया उसका कौन जिम्मेदार है आप

आदेश कर दीजिए ना इस कंपनी के ब्लास्टिंग से घर टूटा है इनके ऊपर में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए मकान तोड़ना छोटा–मोटा अपराध है क्या किसी के मकान को तोड़ देना पेड़ों को काट दिए कोई उल्लेख नहीं है और बोल रहे थे पेड़ काटना नहीं पड़ेगा इस जंगल में जितने वर्ग फीट में वह काम कर रहे हैं बिना पेड़ का है वह कैसा संभव है तो इस प्रावधान में जनसुनवाई के पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय को भी इस बात का निरीक्षण करना है तो आप गए क्या उसको भी बता दे मेरे को जनता को आप नहीं बता रहे हैं गए कि नहीं गए आप प्रावधान पढ़े हैं कि नहीं पड़े हैं उसको भी पूछ रहा हूं वह भी नहीं बता रहे हैं और पढ़े हैं तो कानून का उपयोग करें हम आपसे सादर अपेक्षा रखते हैं कि आप कानून का उपयोग करेंगे और जनसुनवाई को यहीं पर निरस्त करेंगे।

पीठासीन अधिकारी महोदय– आपकी बातो को नोट कर लिया गया है आप बिलकुल निश्चिंत रहिये, जो नियम है, जो प्रावधान है उन्ही के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी, कोई भी कार्यवाही ऐसी नहीं होगी जो प्रावधान के विपरित हो, नियम के विपरित हो आप इसके लिये आश्वस्थ रहे और सभी ने जिन्होने अपनी बात रखी मैं सबको आश्वस्थ करता हूं कि नियमों के अनुरूप ही, नियमों के अनुसार ही सभी कार्यवाहियां होंगी।

राधेश्याम शर्मा – यह जो आश्वस्थ कर रहे हैं आप अभी काहे नहीं कर रहे हैं बाद में करूंगा नहीं अभी आप पीठासीन अधिकारी हैं प्रेसिडिंग ऑफीसर होते हुए भी आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप नेता है क्या हमें आश्वस्थ कर रहे हैं कि मैं कर दूंगा जैसा नेता करता है हमारा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा अभी आप यहां हैं कलम नहीं चल रहा है एक लाइन की इस जनसुनवाई को मैं अपनी अंतरभुत शक्तियों के तहत निरस्त करता हूं कौन क्या कर लेगा कौन क्या बिगाड़ लेगा आपका विष्णु देव साय बिगाड़ लेगा कि पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी बिगाड़ लेगा आपका किसके दबाव में काम कर रहे हैं आप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं यहां न्यायिक पद पर है आप काम नहीं कर रहे हैं भाषण दे रहे हैं नेता के जैसे कि मैं कर दूंगा कैसे कर देंगे आपके जैसे कमजोर आदमी कैसे करेगा चलिए करिए निरस्त करिए और आपराधिक प्रकृति दर्ज कराया और खदान को बंद कराईए और इनको गिरफ्तार करवाइए पुलिस विभाग उत्तर हुआ है तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी एक संदेश जाएगा देश में की एक अपर कलेक्टर जागृत हो गया देश में गुलामी से मुक्त हो गया अच्छा संदेश दीजिए और हमारे पास तो बंदूक नहीं है और ऐसे मनमानी करते आप बंदूक रहता तो आप दोनों को गोली मार देता है यहां पर तत्काल एक सेकंड भी नहीं लगता बंदूक नहीं मिल रहा है पुलिस वाले को बोलता हूं दे दो सब दो–चार लोगों को निपटाना है मंत्री संत्री लोग को अधिकारी लोग को ताकि खौफ पैदा हो, हमारा तो 65 साल उम्र हो गया पूरा जेल काट नहीं पाएंगे निपट जाएंगे वहीं क्रांति तभी आएगा ना हम अभ्यस्त है वहां जाने के लिए तैयार रहते हैं बंद करिए देखे यहां पर सब पत्रकार भी है काहे समय खराब कर रहे हैं सबका हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं इनका बहुत सारा ड्यूटी है पूरा नहीं कर पाते हैं अमला कम है अभी वह बोल रहे थे यहां बाल कम है भेज

(26)

दीजिए गिरफ्तार करना है दो लोगों को वह यहां की ड्यूटी में आए हैं मजबूरी है उनको भेजना पड़ रहा है तत्काल इसको आदेश करिए आप की एक खदान की समय से प्रतिबंधित किया जाता है और फर्जी दस्तावेज सम्मिलित करने का जो इनकी लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है इसका उल्लेख करिए ई.आई.ए. के प्रावधान का उल्लेख करिए 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई नहीं हुआ था राज्य में जो पर्यावरण विभाग में जो चोर लोग बैठे हैं उन्होंने ई.आई.ए. रिपोर्ट को नहीं देखा है आपके जैसे आप भी नहीं पढ़े हैं उसकी एक कंडिका भी नहीं पढ़े हैं जनसुनवाई के प्रावधान को नहीं पढ़े हैं इसकी अधिसूचना को नहीं पड़े हैं तो भारत सरकार जो अधिसूचना जारी करती है उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है आपके पास और बोलते हैं कि आस्वस्थ रहिए क्या यहां पर आप काम नहीं कर रहे हैं ड्यूटी नहीं कर रहे हैं काम चोरी कर रहे हैं और आप बोलते हैं आस्वस्थ रहिए है ताकत आप में आश्वासन देने का जनता को मूर्ख बना रहे हैं हमको क्या आवेदन लगाना है उसको बोलिए हम सब लगा देंगे यहां पर जितने पीछे खड़े हैं मुंह से बोल दिया सब आपत्ति दर्ज कर दिए और बोलते हैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे यहां तो खुद बैठे हैं पीठासीन अधिकारी डाकिया है क्या आप पोस्टमैन है क्या चिट्ठी पहुंचाएंगे यह जो जमा कर रहे हैं उसको लिखकर नियम कानून कुछ पता नहीं है और मुंह उठाकर आ गए कितना पैसा मिला है आपको कितने में बिक गए आप मैं गलत बोल रहा हूं आप अपना काम नहीं कर रहे हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है बात रखिए और क्या बात रखें जितना बोल चुके समझ में नहीं आ रहा है क्या बहरे हैं क्या आप आपको समझ में नहीं आता है किसके लिए काम करते हैं संविधान का उद्देश्य को पड़े हैं कौन प्रमुख है यहां इस देश में हमारे जैसा जनता जिसकी सेवा के लिए आप एक सेवा शर्त में हस्ताक्षर करके आए हैं उसका उल्लंघन सेवा शर्त बता दीजिए कितनी कंडिका में है नहीं बता पाएंगे आप ड्यूटी करना पैसा लेना और ऐसे ही लंद फंद का पैसा लेना सब यही काम में लग गए हैं आप लोग असमर्थ हूं बोल दीजिए हाथ खड़े कर दीजिए मैं भयभीत हूं डर रहा हूं बोल दीजिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा आप पर यह नीचे में जितने भी हमारे पर्यावरण विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि समापन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे उनके आदेश के बाद भी क्योंकि साहब तो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं आप नहीं करिए।

पीठासीन अधिकारी महोदय – अपनी बात रख चुके है तो मैं परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित करूंगा कि आम जनता से जो बाते आई है, जो बिन्दु आये है, जो आपत्तियां उठाई गई है, जो सवाल पुछे गये है उनका बिन्दुवार जवाब देंगे।

राधेश्याम शर्मा – यह समापन की प्रक्रिया है पीठासीन अधिकारी और यह अभी प्रक्रिया नहीं हो सकती ना आगे कोई जनता सवाल पूछेगी ना आपको हम समापन करने देंगे आप इस भ्रम में मत रहिए की जनता आएगी और कंसलटेंट कंपनी से सवाल जवाब करेगी कोई नहीं करेगा यहां लड़ने वाले लोग हैं महिला पुरुष है कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा हम आपको बंद करने की प्रक्रिया को पूरी नहीं करने देंगे।

जयंत बहिदार – सर वो अल्ट्राटेक्ट कंपनी का लाईसेंस समाप्त हो गया अब वो गया काम से।

पीठासीन अधिकारी महोदय – आप जो बात कह रहे है कि उनका लाईसेंस 3 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है वो लोग यही है वो बतायेंगे कि उनका लाईसेंस समाप्त हुआ है या जीवित है वो बतायंगे उनको बताने दीजिये।

राधेश्याम शर्मा – 1 निवेदन है सर वह तो बता देंगे आप बताइए यह जो आवेदन लगाए हैं इस जनसुनवाई के लिए वह 45 दिनों के भीतर है क्या वह साहू साहब से आप पूछ लेना साहू साहब को मालूम है परियोजना प्रस्तावक नहीं वहां जो बैठे हैं पर्यावरण अधिकारी वह बताएंगे अभी आपको 45 दिनों के अंदर जनसुनवाई हो रहा है क्या प्रावधानों के अनुरूप। मेरा कहना यह है कि अभी हमने आपको पर्याप्त प्रमाण दे दिया कि यह जनसुनवाई जो है ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अधिसूचना है इसके जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के विपरीत हो रहा है आप साहू साहब से पूछ लीजिए फिर आप कैसे करवा रहे हैं वह क्या जवाब देंगे आप वैधानिक जनसुनवाई करवा रहे हैं वह क्या जवाब देंगे हम आपसे पूछ रहे हैं आप अवैधानिक जनसुनवाई क्यों करवा रहे हैं वह क्या जवाब देंगे उसका हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं परियोजना प्रस्तावक से प्रश्न पूछने का नहीं आपसे भी प्रश्न पूछने का है मेरी बात क्लियर हो गई है आप अवैधानिक जनसुनवाई करवा रहे हैं उसको क्यों नहीं मान रहे हैं।

जयंत बहिदार – जिसका लाईसेंस समाप्त हो चुका है वो कैसे आयेगा।

पीठासीन अधिकारी महोदय – जिसका लाईसेंस समाप्त हुआ है आप बोल रहे है जिसका लाईसेंस है उससे तो पुछना चाहिये उसकी लाईसेंस समाप्त हुई है या नही? उनको बताने दीजिये।

जयंत बहिदार – जो ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया है उसी को मानेंगे की नहीं मानेंगे।

पीठासीन अधिकारी महोदय – उनको आने दीजिये वो बतायेंगे। मेरा लाईसेंस नहीं है उनका लाईसेंस है उनको आने दीजिये वो अपना लाईसेंस बता देंगे।

जयंत बहिदार – ई.आई.ए. रिपोर्ट का महत्व है या नहीं?

पीठासीन अधिकारी महोदय – बिल्कुल महत्व है और इसका भी महत्व है कि वो यहां बैठे है अपनी बात रखेंगे, जवाब देंगे इसका भी तो एक महत्व है ना, जो सवाल उठाया है उनका लाईसेंस खतम हो गया है उनको आने दीजिये ये भी तो बात है इसका भी तो महत्व है।

जयंत बहिदार – खदान जो चालु है चहिये आप, आदिवासी सब चलिये जांच करिये वो खदान चहिये ना देख लीजिये।

पीठासीन अधिकारी महोदय – वो जो बात आप बोल रहे है उसकी पुरी जांच होगी उसकी पुरी टीम है माईनिंग की टीम है वो जांच करेगी। आप जो अभी बोल रहे है उसका लाईसेंस वाली उनको आने दीजिये। सभी लोगो ने जो बात उठाई है उसका जवाब देंगे।

जयंत बहिदार – पहले लाईसेंस का कागज चाहिये।

पीठासीन अधिकारी महोदय – हां वो कागज दिखायेंगे।

(28)

राधेश्याम शर्मा – आप 1 मिनट हम उसे कागज को देखेंगे लेकिन आप पहले यह बताइए आवेदन लगा हुआ है उसकी तारीख है साहू साहब आपको बता देंगे तो आपको जनसुनवाई करने का अधिकार नहीं है तो यह सब कैसे इनसे सवाल करो उनसे जवाब करो नियम है क्या आपको कोई अधिकार दिया है आप क्या करने बैठे हैं आप प्रेसिडिंग ऑफीसर है आप केवल रिपोर्ट में लिखेंगे कार्यवाही नहीं करेंगे आप बताइए पीठासीन अधिकारी कौन है इस जनसुनवाई का कौन है कार्यवाही होगी तो कार्यवाही कौन करेगा पीठासीन अधिकारी तो आप है कार्यवाही दूसरा कौन करेगा मैं आपके अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा हूं हमको गुमराह मत करिए विशेष मूल्यांकन समिति ने इस फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट को जमा कर दिया है जिसको आप पढ़े नहीं है समझे नहीं है आप यहां पीठासीन अधिकारी हैं तो आप यह कैसे जनसुनवाई करवा रहे हैं 45 दिनों के अंदर नहीं है आप एक लाइन लिख दे कि यह समय सीमा से बाहर हो चुका है अभी आप लिखिए निरस्त करिए पहले के इस लोग बैठे थे क्या अभी मुर्ख थे जो स्पॉट में जनसुनवाई को निरस्त कर दिए कुछ लीजिए आप जनसुनवाई निरस्त कर देंगे आस्वस्थ कर रहे हैं आप आप जनसुनवाई को पूरा करने के लिए आस्वस्थ है नहीं आने देंगे मैं प्रश्न करने नहीं दूंगा मैं प्रश्न किसी को पूछने नहीं दूंगा ए सुन लो कंसलटेंट कंपनी वाले फर्जी फ्रॉड आदमी लोग तुम लोग यहां प्रश्न सुनोगे जवाब दोगे यहां दिखाना मत अभी प्रक्रिया अभी चल रही है यह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जनसुनवाई को निरस्त नहीं कर रहे हैं लिखकर भेज दूंगा अरे तुम अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे हो किसको लिख कर भेजोगे वह स्क्रीनिंग कमेटी चोर लोग हरामखोर लोग बैठे हैं पर्यावरण संरक्षण मंडल में वह फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट यहां भेजते हैं और आप जनसुनवाई करवा रहे हो समय बीत चुका राज्य सरकार को जनसुनवाई करने का अधिकार नहीं है आपको राष्ट्रपति का अलग से लेटर मिला है क्या कि इस जनसुनवाई को करवा दो करके की मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है की टाइम पर हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में जनसुनवाई हो सकता है ऐसा कुछ है तो बताइए पहले यह ऐसा नहीं की कंसलटेंट जाकर जवाब देगा वह जवाब आप पूछ नहीं पा रहे हो कि यह मैसेज दिलीप बिल्डकॉन क्या वह जो परियोजना है जिसके लिए खनन किया जा रहा है उसका मूल ठेकेदार है कि सिर्फ गिट्टी सप्लायर है उसको पूछ लो आप अगर वह सप्लायर है तो फिर आपको गुमराह किया गया है तो मेरा कहना पहला बिंदु आप 45 दिन के अंदर नहीं दिए इसको निरस्त करिए आप लिखकर भेज दूंगा अरे आप तो डाकिया हो गए।

पीठासीन अधिकारी महोदय – उनके जवाब के लिये परियोजना प्रस्तावक जवाब देंगे आईये।

राधेश्याम शर्मा – परियोजना प्रस्तावक अभी कोई जवाब नहीं देंगे पहले आप जवाब दीजिए जी जवाब को आपको देना है टाइम लिमिट पर हो चुका आप जनसुनवाई कैसे करवा रहे हैं कि अधिकार पर करवा रहे हैं यह हम आपसे जवाब मांगेंगे अधिसूचना का उल्लंघन आप कैसे कर रहे हैं किसके अधिकार पर कर रहे हैं किसने अधिकार दिया राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने परियोजना प्रस्तावक बाद में आएगा।

जयंत बहिदार – खदान चालु है कि नहीं आप ये बता दीजिये सर, कंसलटेंट भी बोलते है खदान चालु है।

पीठासीन अधिकारी महोदय – आपकी जो बात है वो अभी चालु है मैने बोला कि माईनिंग से उसकी जांच करायेंगे।

राधेश्याम शर्मा – अभी आप यहां बिल्कुल मत नहीं आईए दिखिए मत आप यहां देखें फिर मैं कानून का धारा तोड़ दूंगा मैं फिर अपराध करने पर मजबूर हो जाऊंगा यहां से निकालिए आप चलिए इनको ले जाइए आप इनको हटाइए यहां से वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है आप मुंह उठा कर चले आए।

जयंत बहिदार – खदान पुराना है और नई परियोजना के नाम पर ये लोग पर्यावरण स्वीकृति लेना चाहते है बंद करिये अरेस्ट करिये, इसके मालिक को भी अंदर करिये, कंसलटेंट को भी अंदर करिये, झुठी रिपोर्ट दिया है उससे कम कुछ नहीं होगा।

पीठासीन अधिकारी महोदय – देखिये उनको आने देंगे तभी तो वो अपनी बात रखेंगे।

राधेश्याम शर्मा – उनको नहीं आने देंगे पहले आप बताइए आपको क्या अधिकार है जनसुनवाई करवाने का उसको आप पहले बताइए।

पीठासीन अधिकारी महोदय – उनको आने दीजिये।

राधेश्याम शर्मा – आप किस अधिकार पर यहां बैठे हैं उसको बताएंगे कि नहीं मेरी बात यही है इसकी अधिसूचना में 45 दिन बीत गया आप किस अधिकार पर बैठे हैं राज्य सरकार ने आपको अलग से कुछ दिया है अतिरिक्त शक्ति दी है कि केंद्र सरकार ने उसको बता दीजिए जनसुनवाई अवैध है उसमें आप कंसलटेंट से बताया बोलते हो पहले तो आप यही क्लियर कर दीजिए पीठासीन अधिकारी महोदय आप किस अधिकार के तहत इस जनसुनवाई को करवा रहे हैं जो 45 दिनों के भीतर नहीं हो रहा है स्क्रीन कमेटी ने आंख मूंद करके फर्जी दस्तावेज सबमिट कर दिया है आपको तो इस कंसलटेंट कंपनी और इस कंपनी के साथ राज्य में जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठा है और यह जो साहू साहब बैठे हैं जो इस फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट को आधार बनाकर के आपसे जनसुनवाई करवा रहे हैं इनकी भी गिरफ्तारी करवाई है अवैध खदान जो चल रहा है जो आपके इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में है कि उसका खनन सिर्फ भारत माला परियोजना के लिए होना है वह पहले से कर रहा है तो अवैध है और अवैध है तो उसको पहले बंद कर दीजिए आप उसकी जनसुनवाई हो ही नहीं सकती बिना पर्यावरण स्वीकृति के यह खदान में खुदाई कैसे हो रहा है ब्लास्टिंग कैसे हो रहा है जनता जो बोल रही है उसका सुन लीजिए आप खाली आप प्रस्ताव से सुनेंगे क्या वह फर्जी आदमी फर्जी रिपोर्ट लेकर के आ गया है उसे हम क्या सुनेंगे आप अवैधानिक तरीके से जनसुनवाई करवा रहे हैं आपके अधिकार नहीं है आप इसे निरस्त करिए खदान को बंद करने का आदेश जारी करिए और इस साहू साहब के साथ स्क्रीनिंग कमेटी में जो बैठे हैं इस कंपनी और इस कंसलटेंट कंपनी को गिरफ्तार करिए यही मांग है हमारे आगे प्रक्रिया नहीं चलने देंगे।

(50)

जयंत बहिदार – बिना शासन के अनुमति के खदान चल रहा है, बिना पर्यावरण विभाग के पर्यावरण मंत्रालय के अनुमति के बिना खदान चल रहा है यही सबसे बड़ा आधार है सर। सर हाथ जोड़कर विनती करते है सर बंद कर दीजिये।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय – खदान चल रहा है उसके बारे में परियोजना प्रस्तावक बोलेगा। 45 दिन वाली बात आपको पता है आप इतने पब्लिक हेयरिंग में आये है 45 दिन के वैधता अगर किसी प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को हम 45 दिन में नहीं कराये है तो उसको आवेदन प्रस्तुत करना रहता है भारत सरकार को। परियोजना प्रस्तावक ने भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण हम पब्लिक हेयरिंग करवा रहे है।

जयंत बहिदार – खदान चालु है उसको को बंद करवा दीजिये।

क्षेत्रीय अधिकारी – परियोजना प्रस्तावक को जवाब देने दीजिये।

राधेश्याम शर्मा – परियोजना प्रस्तावक अगर आवेदन नहीं लगाया तो आप अवश्य जनसुनवाई करवा लेंगे क्या क्या बात करते हैं आप कैसे बात करते हैं साहू साहब।

जयंत बहिदार – रिन्यूअल लेटर आप प्रस्तुत करने का क्या मतलब है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है उसी को तो सच मानेंगे हम। उस समय तो वेलेडिटी नहीं था।

राधेश्याम शर्मा – और साहू साहब आप जो बोल रहे हैं की जो परियोजना प्रस्तावक है कि वह मंत्रालय को लगाएगा आवेदन वह नहीं लगाएगा आप कैसे करवा लोगे ऐसा है क्या प्रधान में बताइए अभी आप जो बोल रहे थे।

क्षेत्रीय अधिकारी – वो नहीं लगाया है इसलिये हम प्रावधान के अनुसार जनसुनवाई करवा रहे है।

राधेश्याम शर्मा – आप बताओगे कौन सा प्रावधान किस कंडिका में है बताइए।

क्षेत्रीय अधिकारी – किसी कंडिका में ये नहीं लिखा है कि हम 45 दिन के बाद पब्लिक हेयरिंग नहीं करवा सकते।

राधेश्याम शर्मा – अच्छा जैसा प्रावधान है वैसा ही करना है आपको आप 45 दिवस के भीतर अगर नहीं करवाएगा तो वह केंद्रीय कमेटी जो है पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली जो है एक कमेटी निर्धारित करेगी यह है अधिसूचना में।

क्षेत्रीय अधिकारी – आवेदन करेगा तब निर्धारित करेगी आप फिर से पढ़ लिजिये सूचना।

जयंत बहिदार – खदान बंद करिये आप सक्षम है।

पीठासीन अधिकारी महोदय – जो खदान वाली बात है इसमें आपको मैं पहले भी बोल चुका है, फिर से बोल रहा हूँ जांच तो आप करा लेने दीजिये। अगर फर्जी खदान हुई तो उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

जयंत बहिदार – फिजिकल जांच करना पड़ेगा सर। चोर थोड़ी ना बोलता है मैं चोरी किया हूँ।

पीठासीन अधिकारी महोदय – जांच में पुरी टीम होती है माईनिंग की टीम होती है वो पुरा जांच करेगा। अगर फर्जी खदान है तो उस पर कार्यवाही करेंगे। परियोजना प्रस्तावक को जवाब देने दीजिये तभी उनके

बातो से क्लियर होगा, उनके जवाब से क्लियर होगा, सबको जानने का हक भी है और उनको जवाब देना चाहिये।

राधेश्याम शर्मा – आप जबरदस्ती मेरे को हटवा लो यहां से मैं हटूंगा नहीं। यह गुमराह किया है तो इनको गिरफ्तार करवा दीजिए क्या आप बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में गांव वाले झूठ बोलेंगे क्या हमारा मकान टूट गया करके क्या बात कर रहे हैं आप अंतरभूत शक्ति के तहत आप इन्होंने जो बात कही उसे पर संज्ञान लेकर के तत्काल अभी माइंस को बंद करिए और इस कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार करवाई है और इस कंसलटेंट कंपनी से हमको जवाब नहीं सुनना है ना मैं किसी को प्रश्न करने दूंगा ना मेरे को जवाब सुनना है आगे की प्रक्रिया मैं जारी होने नहीं दूंगा अगर आपको लगता है मैं कानून के विपरीत काम कर रहा हूं तो मेरी गिरफ्तारी करवा दीजिए मैं तैयार मैं जेल जाने को तैयार हूं यहां कानून के पालन के लिए और अधिकारी बैठे हुए हैं तहसीलदार हैं नायब तहसीलदार हैं उनका आदेश कर दीजिए आप खुद इसको आदेश कर सकते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लीजिए करके आप में है ताकत।

जयंत बहीदार – साहब चोर कभी नहीं बोलेगा की चोरी किया हूं यह एकदम प्रत्यक्ष है इसलिए खदान चालू है झूठी रिपोर्ट दिया है चोरी कर रहा है बंद करिए बस और बाकी पॉइंट को छोड़ो हमने शिथिल कर दिया चलिए इस पर कार्यवाही करिए खदान चालू है चल के देख लीजिए।

राधेश्याम शर्मा – यह बहीदार जी बोल रहे हैं ये बहीदार जी का है मेरा यह है कि आप किस अधिकार पर आए हैं उसे अधिकार पत्र को मैं जब तक नहीं देख लेता मैं यह प्रक्रिया जारी नहीं होने दूंगा आप इसको समापन नहीं कर सकते कंसल्टेंट वालों से कोई प्रश्न नहीं करेगा जो करेगा वह मेरे को मार करके यहां ताकत है तो ग्रामीण हटा ले मैं गलत कर रहा हूं तो या आप हवा लो यह झूठ बोल रहे हैं तो इनको गिरफ्तार करवा लीजिए गांव वाले इतने सारे लोगों का घर टूट रहा है मकान टूट रहा है तो क्या किसी राह वास क्षेत्र के निकट में ब्लास्टिंग किया जाएगा कैसे बात कर रहे हैं आप मनमानी कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है साहू साहब बोलते हैं कि हमको अधिकार है क्या अधिकार है आप प्रावधान में बता दीजिए ऐसा गलत बात मत बोलिए साहू साहब हम अपनी इंसानियत भूल जाए मानवता भूल जाए कि आप मनुष्य हो करके ऐसा मजबूर मत करिए हमको हमको नंगई पर मजबूर मत करिए अगर इस प्रदेश के हाईकोर्ट में ताला बंद कर रहा हूं और हरामखोर बोल रहा हूं कुत्ता बोल रहा हूं जजों को न्यायाधीशों को वह मेरा उखाड़ नहीं सके आप उखाड़ लोगे बकवास करते हो हरामखोरी कर रहे हो तुम्हारा नौकर हूं गुलाम हूं जो ऐसे भाषण बाजी कर रहे हो दोनों के दोनों जनता अभी उग्र नहीं हुई है मार मार कर भूत बना देती नहीं तो तुम लोगों को यह माता बहन लोग चुपचाप बैठे हैं मनमानी कर रहे हैं आप बताइए पहले यह जनसुनवाई किस अधिकार पर कर रहे हैं बाद में कंसल्टेंट और समापन के प्रक्रिया होगी या तो खदान बंद कराई है या गिरफ्तारी के आदेश दीजिए फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वह स्क्रीनिंग कमेटी वाले चोर है पैसा खाकर के कर दिए आप भी चोर है क्या आप भी भ्रष्ट है क्या कबूल कर लीजिए कि हां

मैं भ्रष्ट हूं मैं आगे जारी रखेगा करके मैं देख लेता हूं कैसे जारी रखेंगे कैसे समापन करोगे मैं देख लूंगा आप लोग मेरे साथ हैं जी माता बहन इस क्षेत्र के चलिए गिरफ्तारी तब देंगे फिर स्पष्ट रूप से ई.आई.ए. में लिखा है कि इस परियोजना के लिए जो गिट्टी होगा उतने ही समय तक उसको खनन करना है और वह भेज नहीं सकता तो यह जो 7 महीने से खनन हो रहा था वह कैसे होगा। आपके पास एक विकल्प है आप एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन 5 दिन एक सप्ताह का मैं समय दिया आप एक सप्ताह के अंदर जो भी हुआ है अगर यह फर्जी रिपोर्ट है तो और यह माईनिंग कर रहे हैं वह अवैध है तो इनका लाइसेंस निरस्त हुआ है रिनवल नहीं हुआ है तो आप उसे पर कार्यवाही करने का जनता के बीच में आश्वस्थ कर दीजिए मैं एक सप्ताह का समय दिया आप बोलिए ताकि इस पर रिकॉर्ड आए और इस जनसुनवाई की प्रक्रिया में बड़ी खामी है उसको मैं नोट करने को कहता हूं उसे पर भी अलग से की लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का जो अधिकार है उसके प्रति जिला प्रशासन या पर्यावरण विभाग संवेदनशील नहीं है यहां के विधायक और सांसदों को भी यह रिपोर्ट के कॉपी जाने चाहिए उनको सूचना जानी चाहिए उनको तो पता ही नहीं है आप जिला पंचायत में दे रहे हैं 10 किलोमीटर के रेडियस में दे रहे हैं तो विधानसभा का जो प्रमुख प्रतिनिधि है विधायक है इस संसदीय क्षेत्र का लोकतंत्र का सांसद है उसको आपका है सबमिट नहीं करते उसके लिए आपका कानून नहीं है बोल रहे हैं जनसुनवाई हम कर सकते हैं बोल रहे हैं साहू साहब कैसे कर सकते हैं अलग से आपको कोई अधिसूचना जारी हुई है तो आप आश्वस्थ कर लीजिए की आपके पास समय है कि आप गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे अवैध खदान बंद होगा आप रिपोर्ट में डालेंगे कि यह जनसुनवाई 45 दिनों के अंदर नहीं हुई है परियोजना प्रस्तावक के पास टाइम बाद में हो चुका है यह जयमाला परियोजना का प्रोजेक्ट है कि नहीं है हां सागरमाला जो भी माला है वह बना रहे हैं सड़क बना रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं हाई स्कूल फेल आदमी हूं अगर वह परियोजना उसी का है जो मूल ठेकेदार है तब तो ठीक है नहीं तो अलग से कोई बेटी कॉन्टैक्टर खुदाई नहीं कर सकता।

पीठासीन अधिकारी महोदय – मैं आपकी बात से सहमत हूं आप जो बोल रहे हैं मैं पहले भी उसको दोहरा चुका हूं फिर से मैं दोहरा रहा हूं आप जो कह रहे हैं कि इलीगल माईनिंग हो रही है अवैध जो खनन हो रहा है मैंने कहा कि हम उसकी जांच करेंगे अभी महोदय बोल रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर जांच कराया अगर गलत होता है तो कार्यवाही करेंगे हम सहमत है मैं भी चाहता हूं, यहां एसडीएम साहब भी बैठे हैं।

राधेश्याम शर्मा – चलिए धन्यवाद आप आस्वस्थ किए हैं हम एक सप्ताह तक इंतजार करेंगे मैं राधेश्याम शर्मा आज की इस जनसुनवाई की प्रक्रिया को इसलिए आगे बढ़ने दे रहा हूं कि माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय एसडीएम सब तहसीलदार साहब सब हैं पुलिस के अधिकारी हैं पत्रकार हैं की एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उसे रिपोर्ट पर कार्यवाही करेंगे इस आश्वासन पर धन्यवाद।

जयंत बहिदार – कन्सल्टेंट को बुलवा लिजिये।

पीठासीन अधिकारी महोदय ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक आयेंगे और बिन्दुवार जवाब चाहीये जिन बातों पर आपत्ति उठाई गई है।

जयंत बहिदार – सर आपना नाम और परिचय दिजिये।

एस.के. सिंग, कंपनी प्रस्तावक – उपरोक्त जनसुनवाई कार्यक्रम में सुझाए गए ग्राम वासियों के द्वारा सभी बिंदुओं पर सुझाए गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर, जिला रायगढ़ एवं माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायगढ़ एवं समस्त ग्रामवासी तथा समस्त उपस्थित व्यक्ति को हम मैसेज दिलीप बिल्डकॉन द्वारा आश्वासन देना चाहते हैं कि हम प्रस्तावित खदान का संचालन तथा अनुमोदित योजना को पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों तथा निर्देशानुसार पालन किया जाएगा। इसके साथ ही अनुभव के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा। संबंधित ग्रामवासियों के लिए जल सुविधा हेतु नलकूप का सुविधा किया जाएगा तथा टंकी का निर्माण किया जाएगा। परिजन में कार्यरत मजदूरों की समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सिलिकोसिस सिलिका कड़ो से युक्त धूल से बचने के लिए लोडिंग अनलोडिंग क्षेत्र में जल छिड़काव किया जाएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु श्रमिकों को मास्क आदि प्रदान किया जाएगा। वाहनों का उचित रखरखाव तारपोलिन से ढककर किया जाएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा तथा समय–समय पर सड़कों का निरीक्षण किया जाकर सुधार कार्य किया जाएगा। आवेदक के सीमा क्षेत्र में 1.5 हेक्टर भूमि में 1146 नाग स्थानीय पौधे विभिन्न प्रजाति के पौधे तथा उनके सुरक्षा के लिए कांटेदार तार के साथ नियमित अंतराल पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ग्राम वासियों के सुझाव तथा मांगों के अनुसार आवास नल जल योजना, रोड व्यवस्था, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था आदि के सुधार कार्य किया जाएगा बताना चाहूंगा की खदान के संचालन दौरान पाटीदार के द्वारा रॉयल्टी के साथ–साथ जिला खनिज निधि के रूप में निर्धारित राशि शासन को जमा किया जाएगा। जिसका उपयोग शासन द्वारा विभिन्न मदों में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला रायगढ़ एवं माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल जिला रायगढ़ से हमारा अनुरोध है कि ग्रामवासियों द्वारा मांगों को हम संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों को मांग का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावित परियोजना के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया गया है। इस परियोजना में शांति बाई के नाम पर भूमि प्रस्तावित नहीं है। आवेदित निजी भूमि में साधारण पत्थर के उत्खनन हेतु अनुमोदित विभाग जैसे खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग, ग्राम पंचायतों तथा राजस्व विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त कर लिया गया तथा कुछ विभागों से अनुमति लिया जा रहा है खनिज नियम 2015 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थानों से नियमानुसार दूरी रखते हुए लीज हेतु आवेदन किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा स्थल का निरीक्षण किए जाने उपरांत ही कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है। वर्तमान में आवेदित खसरा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। पूर्व से नियमानुसार प्राप्त खदानों में खनन कार्य संचालित है। साधारण पत्थर का खनन हेतु

(34)

खनिज पट्टा के लिए नियमानुसार अनापत्तियां प्राप्त की गई है। आवेदित क्षमता मैं भविष्य में गिरते हुए दर में उत्पादन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 2015 के अनुसार साधारण पत्थर की अस्थाई लीज भूमि से प्राप्त पत्थर का उपयोग परियोजना में किया जाएगा। इस लोग सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति सुझाव उठाए गए हैं उसे मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं जवाब अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में शपथ पत्र भी राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदित खदान के पत्थर का उपयोग भारतमाला परियोजना के लिए ही प्रस्तावित है। आवेदक दिलीप बिल्डकॉन द्वारा इस क्षेत्र में भारतमाला परियोजना के तहत हाथियों के विचरण हेतु कंजर्वेशन प्लान तथा बजट सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया है। खदान क्षेत्र के निचले गड्डे में वर्षा ऋतु से संचित जल का उपयोग वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव हेतु किया जाएगा। भूमिगत जल उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउंडवाटर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया गया है। कंसल्टेंट की वैधता दिनांक 28.10.2027 तक के लिए नवीनीकरण प्राप्त है, जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया गया है। ग्राम सभा का अनापत्ति सीएसआर को जमा किया जाएगा परियोजना के जनसुनवाई हेतु आवेदक को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। ब्लास्टिंग दौरान घरों का नुकसान नहीं होगा। इस दौरान दूरी के संबंध में मापदंड रखी गई है उसके लिए हम कंट्रोल कर ब्लास्टिंग करेंगे जिससे किसी को परेशानी नहीं होगी।

जयंत बहिदार – महोदय आवेदक भूमि पर जो पहले से खदान चल रहा है, वह बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उसे संबंध में आप क्या कहेंगे ?

एस.के. सिंह, कंपनी प्रस्तावक – आवेदित भूमि जिसकी जनसुनवाई हो रही है इसमें किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे पहले इस भूमि में 1.5 हेक्टेयर भूमि पर खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है।

जयंत बहिदार – महोदय इन्होंने बताया कि यह एक नया खदान है यह रिपोर्ट में है और खदान चालू भी है।

पीठासीन अधिकारी महोदय – अभी तो बात हुई उसके बारे में जांच होगी। अगर गलत बोल रहें है अगर वास्तव में पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही भी करेंगें। आप आइये, इनसे यदि कुछ सवाल पूछना चाहते है तो आप पुछ सकते हैं।

जयंत बहिदार – बाकी छोटी–छोटी चीजें आप जांच में आयेंगे सर।

एस.के. सिंह, कंपनी प्रस्तावक – मेरे नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के तरफ से अथोराईज्ड परसन मैं हूं।

जयंत बहिदार – जांच में इनको भी बुला लिजियेगा सर।

पीठासीन अधिकारी महोदय – ओ तो एक पार्टी रहेंगे ही।

एस.के. सिंह, कंपनी प्रस्तावक –आदेश हो तो साथ में चलेंगें सर।

पीठासीन अधिकारी महोदय – आपके ब्लास्टिंग से हुआ है तो।

एस.के. सिंह, कंपनी प्रस्तावक – यश, जी ठीक।

पीठासीन अधिकारी महोदय – सभी को धन्यवाद आज के इस जनसुनवाई के दौरान कुल 06 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं जो लिखित में हैं पूर्व से 02 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे। इस प्रकार कुल 08 अभयावेन प्रस्तुत किये गये हैं। इस सुनवाई में लगभग 150 से 200 लोग उपस्थित रहे। उपस्थिति पत्रक जो संधारित होती है उसमें 39 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। जैसा कि आपने देखा की सम्पूर्ण जनसुनवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है और पूरी प्रासेजिंग हुई की जो कार्यवाही विवरण है उसके पूरा नोट किया गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनों का मैं धन्यवाद देता हूं और आभार करता हूं। आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद!

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.)

(रवि राही) 16-4-25
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)